SHORT DURATION DISCUSSION

On making available adequate potable water in all villages, bastis and habitations in the Country

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर इस परिचर्चा का आरंभ करने के लिए मुझे अवसर दिया। वस्तुतः बात यह है कि पेयजल के बारे में पूरे संसद की ओर से चर्चा होनी चाहिए, इसको प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया था। हुआ यह था कि मैंने एक प्रश्न किया था 1994 में जुलाई के महीने में, जिसमें सरकार ने यह जवाब दिया था कि केवल 278 गांव हिन्दुस्तान में बिना पानी के रह गए हैं। उसके बाद जब मैंने 1995 में प्रश्न किया था तो उत्तर मिला था कि 146 गांव केवल पी० वीज यानी प्राब्लम विलेजेज हैं जो इस देश में रह गए हैं। इस तरह से मैंने प्रश्न किया कि एक साल में आपने 132 गांवों को पानी दिया और केवल 146 गांव बाकी रह गए हैं तो यह क्या परिस्थिति है और हजार करोड़ रुपए इन पर खर्च करने जा रहे हैं तो इस सवाल के जवाब में फिर कुछ दूसरे आंकड़े आए और कहा गया कि नहीं-नहीं एक और भी सर्वे हुआ है, एक और सर्वेक्षण हुआ है। उसमें संख्या बदल दी गयी। वह संख्या कुछ ही नहीं बदली बल्कि लाखों में पहुंच गयी है। इसलिए उस समय मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा था कि इस बारे में सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए और सारे देश को यह मालूम होना चाहिए कि देश में पेयजल की समस्या कितनी गंभीर है। आप इस समस्या के बारे में सरकार के इन मंत्रियों का अंदाज इससे लगा सकते हैं कि जब यह चर्चा शुरू हो रही है तो मंत्रीगण कुछ और चर्चा कर रहे हैं। उनका ध्यान पानी की तरफ नहीं है।

शहरों में भी पानी का संकट है और गांवों में भी पीने के पानी का संकट है। मैं आज शहरों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन गांवों और विशेषकर देश के लाखों गांवों में आज जो पेयजल का संकट है उसके बारे में इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि देश को वस्तुस्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से देश को यह सरकार आंकड़ों के भ्रमजाल से गुमराह करती आ रही है और बजाए पीने के पानी के केवल आंकड़ उसके सामने फेंकती जा रही है। 1987 के सितम्बर महीने में राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गयी थी और उसमें यह कहा गया था कि वर्ष 1991 तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समस्त जनसंख्या को पर्याप्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। वर्ष 1991 को समाप्त हुए चार वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक शहरों और गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। यह भी कहा गया था कि जहां पेयजल का अन्य स्रोत न हो वहां अगर सिंचाई का कोई स्रोत है तो उसमें से भी पेयजल की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन इसका पेयजल लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि 1995 हो गया है और यह भी आधा वर्ष चला गया है। अब क्या परिस्थिति है यह आज के एक जवाब से पता लगता है। उसमें यह पता लग रहा है कि अभी इस देश में जो 1995 और 1996 में लक्ष्य रखा गया है वह 86,746 गांवों का है। अभी बताया गया है कि 11,357 गांव इन्होंने इस साल जून के महीने तक पूरे किए हैं यानी जो 200 था वह बढ़कर 86 हजार एक ही साल में इनका लक्ष्य हो गया। तो यह एक बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूं।

इसमें एक और मजेदार बात है। आज के सवाल का जो जवाब ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री ने दिया है उसमें एक संलग्नक लगाया है—एनेक्सर। उस एनेक्सर। में उन्होंने बताया है कि कितने गांव और कितनी बस्तियां कवर हुई हैं। यह कहता है कि 1992-93 में 34,307 गांव और बस्तियां कवर हुई और हमको पहले बता रहे थे कि सिर्फ 278 बाकी रह गए हैं। अब आप संशोधन करके आ गए कि 34,307 1992-1993 में आपने आच्छादित किए।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र): नहीं नहीं। प्रधान मंत्री जे ने उसी दिन यह स्पष्ट कर दिया था ...(व्यवधान)... उसी बात को क्यों दोहराया जा रहा है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मुझे मालूम है ...(व्यवधान)...मैं आंकड़े बता रहा हूं। आप बैठिए। जरा दिल थामकर सुनिए कि क्या क्या घपले आप कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है।

1992-93 में आप कहते हैं कि 34,307 गांवों को आपने आच्छादित किया और 1993-94 में आप कहते हैं कि 41,488 गांवों को अच्छादित किया। 7,128 गांव आपने इस वर्ष के अंदर अधिक आच्छादित किए। 1992-93 की तुलना में 1993-94 में 7 हजार गांव अधिक आच्छादित हुए। लेकिन जरा जनसंख्या की तरफ आप देखिए तो 1992-93 में आप कहते हैं कि 1 करोड़ 72 लाख जनसंख्या को आपने आच्छादित किया और 1993-94 में आपने 1 करोड़ 63 लाख जनसंख्या को किया 7 हजार से अधिक गांव बढ़ गए हैं और

जनसंख्या घट गयी है। यह विचित्र गोरखधंधा है। ये कौन से गांव है? ऐसे गांवों को आच्छादित किया जिनमें लोग रहते ही नहीं हैं। मगर आबादी कैसे घट गई? ...(व्यवधान)...

डा० जगन्नाथ मिश्रः आप मिस-कंस्ट्र क्यों कर रहे हैं...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशीः मैं मिस-कस्ट्रू नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये वे गांव जो पापुलेशन आपने कवर की है और गांवों की संख्या इतनी अधिक सात हजार बढ़ जाने पर पापुलेशन इतनी घट जाए यह तो मैं मान सकता हूं कि उनती ने बढ़े लेकिन इसका अर्थ यह है कि जो 7148 गांव बढ़ाए गए है इनमें से बहुत से गांवों की जनसंख्या नगण्य थी, वे गांव नहीं थे। यह मैं कहना चाहता हूं। आंकड़ों में आप इन्फ्लेट करके बताते हैं। उसके अन्दर जितना नहीं होता उससे अधिक करके दिखाने की चेष्टा करते हैं। यह मेरा मन्तव्य है और मैं आपको बतांगा कि सन् 1952 से लेकर आज तक पेयजल के मामले में सरकार सिवाय आंकड़ों को इन्फ्लेट करने के और कुछ नहीं कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने 30 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया और उसके अन्दर आपने 33 करोड़ रुपये प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किए और उसमें 11 हजार गांवों में नलों द्वारा जल की आपूर्ति की गई। अब यह देखिए शुरू में आप कह रहे हैं प्लान के शुरू से ही कह रहे हैं कि पेयजल के ऊपर मनुष्यों का अधिकार है, पशुओं का अधिकार है, सब को मिलना चाहिए वगैरह-वगैरह अब 11 हजार गांवों में दस साल में अगर आपने पानी दिया तो एक साल में आपने 1100 गांवों में पानी दिया। हिन्दुस्तान में 6 लाख गांव हैं। तो 1100 गांव एक साल की रफ्तार से 6 लाख गांवों को पांच सौ साल में पानी पिलायेंगे बशर्ते कि उनकी जनसंख्या अपनी जगह पर कायम रहे। यह पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने पेयजल की तरफ ध्यान दिया था यह उस सदन को मालूम होना चाहिए, देश को मालूम होना चाहिए।

फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना और तीन वार्षिक योनजाएं हुई सन् 1962 से 1969 तक। उसके अन्दर आपने 48 करोड़ की लागत से 8 सालों में 6000 गांवों में नल के द्वारा जल की आपूर्ति की। इसके अलावा कुछ कम्युनिटी डिवेलपमेंट में, सामुदायिक विकास में और अन्य स्थानीय विकास के कामों के माध्यम से कहीं हाथनल लगाए गए और कुछ कुएं भी खुदवाए गए। जब पूछा गया कि कुएं कितने खुदवाए गह तो बताया गया कि 12 लाख कुएं खुदवाए गए। अब ये 12 लाख कुएं कहां खुदवाए गए, इनका सत्यापन कैसे हुआ, कहां जाकर इनको देखा जाए, किन स्थानों पर देखा जाए, इसका कोई न राज्य सरकारों की ओर से और न केन्द्र सरकार की ओर से इन गांवों का हिसाब आज तक नहीं मिलता है। ये 12 लाख कुएं खुदवाए गए, लागत 48 करोड़ की जिसमें आपने 6 हजार गांवों में जल की आपूर्ति नल द्वारा की और 12 लाख कुए खुदवाएं गए यानी प्रत्येक गांव में दो कुएं खुदवाए गए। 6 लाख गांवों में यदि 12 लाख कुएं खुदवाए आपने तो हर गांव में दो कुएं आपने खुदवा दिए। अब मैं नहीं समझता क्यों मैं पहाड़ी इलाकों में जानता हूं कि वहां तो कुएं खुद ही नहीं सकते और रेगिस्तान के बहुत से इलाके हैं जहां कुएं खोदना बहुत मश्किल है। इसका अर्थ है कि आपने कुछ ऐसे भी गांव में खोदे होंगे जहां तीन-तीन, चार-चार कुए खुदवाए होंगे। इससे लगता है कि यहां भी कोई मैकेनिम नहीं था जिससे इनका सत्यापन किया जा सके, वैरीफिकेशन किया जा सके। ये आंकड़े कैसे आए ऐसा लगता है कि ये भी बढ़ा-चढ़ा करके बताए गए हैं। इसमें कोई मानक निर्धारित नहीं था, कोई आपके पास स्टैडर्ड नहीं था, कसौटी नहीं थी कि पेयजल कहां पहुंचाया जाए, कि रफ्तार से पहुंचाया जाए, कितनी जनसंख्या को दिया जाए, क्या उसकी शुद्धि का मानक होना चाहिए पानी का उसको शुद्ध कब कहा जाए, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। इसलिए-इस दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तक आपके पास पेयजल की वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं इसका कोई अनुमान था, न उसका मानक क्या होना चाहिए इसका पता था, चूंकि देश को बताना है कि पीने का पानी हम पहुंचा रहे हैं इसलिए कोई तो आंकड़े बना कर दिए जा रहे थे। लेकिन एक सर्वेक्षण हो गया विशेष जांच विभाग का 1964-65 में और उसमें विशेष जांच विभाग ने सर्वेक्षण करने के बाद यह कहा कि आप यह जो बात कह रहे हैं कि पानी पहुंचाना है इसमें एक बात यह देखिए कि 1/3 हिस्सा ऐसा अभावग्रस्त है कि जहां बिना इंजीनियरिंग के और बिना किसी विशेष योजना के आप पानी नहीं दे सकते सिर्फ 2/3 हिस्सा इस देश का ऐसा है कि जहां शायद जल स्रोत आपको भूमि के धरातल पर मिल जाएगा, निकट में मिल जाएगा, कहीं नदी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद 1/3 हिस्सा अभावग्रस्त है और वहां बिना किसी इंजीनियरिंग योजना के अभियन्त्रण योजना के आप

पानी नहीं दे सकते इसलिए कुछ न कुछ आप स्टैंडर्ड बनाइये, मानक बनाइये। फिर आपने यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर मानक बनाने की शुरुआत की और यह मानक बनाया गया कि जहां जलस्रोत 1.6 किलोमीटर से अधिक दूर है और जहां पानी द्वारा फैलने वाले रोग जैसे हैजा, गिनीयवार्म, टाइफाइड वगैरह पाये जाते हैं। और तीसरा जिस जल में खारापन, लोहा, फ्लोराइड आदि रासायनिक द्रव्यों की मात्रा सुरक्षित मात्रा से अधिक है, उन्हें हम समस्याग्रस्त गांव मानेंगे और इन की तरफ विशेष यान दिया जाएगा। यह आप की यह दशा तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1969 तक थी और 1969 तक आप ने कुल 81 करोड़ रुपए खर्च किए और 17 हजार गांवों में आप ने पीने का पानी पहुंचाया। यह आप के आंकड़े कहते हैं, राम जाने पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसे तो आज जानने का कोई रास्ता है नहीं। उन 17 हजार गांवों में से कितनों में दोबारा से पानी देना पड़ा, तिबारा पानी देना पड़ा, इसे कोई नहीं जानता है, लेकिन 81 करोड़ रुपया खर्च कर के 1968 तक 17 हजार गांवों में पानी पहुंचाया।

फिर 1969 से 80 तक एक और फेज शुरु होता है। इस में पानी की समस्या पर विचार करने के लिए फिर ध्यान दिया गया और 1964-65 में जो सर्वेक्षण हुए थे, कहा गया कि यह बहुत जल्दी में हुए थे और ठीक नहीं थे। इसलिए 1971-72 में फिर एक विस्तृत सर्वेक्षण हुआ। वर्ष 71-72 तक यह जो समस्याग्रस्त गांव है, उन के बारे में भी पूरे अंदाज नहीं थे न प्लानिंग कमीशन को थे, न राज्य सरकारों को थे और केन्द्र सरकार को तो बिल्कुल ही नहीं थे उस समय 71-72 के सर्वेक्षण के बाद यह पता लगा कि समस्याग्रस्त गांव 1 लाख, 53 हजार है ये वे है जिन के बारे में मैं ने तीन कसौटियां आप के सामने रखी कि जहां या तो जल का स्रोत 1.6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है या जहां पानी में खारापन है और उस के अंदर रासायनिक पदार्थ है जिस की वजह से पानी ठीक नहीं है और तीसरे यह कि "गिनिया कर्म"। टायफाइड या कॉलरा आदि के कीटाणु या विषाणु पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को अगर हम समस्याग्रस्त गांव कहें तो उन की संख्या 71-72 में 1 लाख 53 हजार थी। अब आप देखिए कि यह संख्या कैसे बढ़ रही है और उस में जो अभावग्रस्त थे अर्थात् जहां पानी पूरे तौर पर नहीं मिलता था, लेकिन थोड़ा-बहुत मिलता था, उन की संख्या 1 लाख, 85 हजार है। वहां पानी तो था, लेकिन वह पीने के लिए सुरक्षित नहीं था अर्थात् शुद्ध जल नहीं था। तो 24 हजार गांवों में यह स्थिति थी। 71-72 के सर्वे ने यह बताया था कि सिर्फ 24 हजार गांव ऐसे थे जहां शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध है। बाकी पौने 6 लाख गांवों में स्थिति मैंने आप को बतायी 1 लाख 53 हजार समस्याग्रस्त, 1 लाख 85 हजार अभावग्रसत और बाकी 24 हजार ऐसे कि जिन में शुद्ध और पर्याप्त जल था। तो सवाल यह उठा कि अब इन बातों को, इन परिभाषाओं को ठीक किया जाये और पहली बार 71-72 में इस बारे में चेष्टा की गयी कि चीजों को ठीक से डिफाइन किया जाये, पारिभाषित किया जाये और उसके बाद नए कार्यक्रम शुरु किए गए। इसी दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम या मिनियम नीड्स प्रोग्राम और ग्रामीण पेयजल योजना इस के अंदर शामिल कर दी गयी। राष्ट्रीय जल-आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम, एन०डब्ल्यू०एस०एस०पी० के स्थान पर अब ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एम०एन०पी० के अंतर्गत डाल दिया गया। सन् 1972-73 में केन्द्रीय एन०डब्ल्यू०एस०एस०पी० कार्यक्रम के स्थान पर ऐक्सलरेटेड रुरल वाटर सप्लाय प्रोग्राम शुरु किया गया। इस में यह कहा गया कि भाई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करनेवाली योजनाओं को न चलाओं। जो सरल योजनाएं है, कम खर्चीली है, उन की तरफ ध्यान दीजिए और नल बिछाकर भी आप पानी ले जा सकते हैं। हालांकि नल बिछाकर पानी ले जाना बहुत व्ययसाधक है, खर्चीला है, लेकिन आप कोशिश यह करें कि नल बिछाने के स्थान पर अन्य योजनाएं बनाएं जैसे हैंड-पंप लगाएं, कुएं खुदवाएं जिससे कि कम खर्च में काम हो सके। फिर 73-74 में इस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया क्योंकि यह सब ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एम०एन०पी० के अंतर्गत चला गया। इसलिए ग्रामीण जल आपूर्ति 1973-74 में फिर डिस्टर्ब हो गयी। वर्ष 77-78 में आप ने ए०आर०डब्ल्यू०एस० एस०पी० को फिर चालू कर दिया और यह अब देखने की बात है किस तरह सरकार इस समस्या की तरफ ध्यान देती है कभी एम०एन०पी० में इस को रख देती है, कभी एक्सलरेटड रुरल वाटर सप्लाय प्रोग्राम को अलग कर देती है, कभी दोनों को मिला देती है और फिर अलग कर देती है यानी 1977-78 में जब तक ए०आर०डबल्यू० एस०एस०पी० फिर से चालू नहीं किया गया, सरकार को यह अंदाज ही नहीं था कि समस्या के कितने आयाम है, इस को टैकल कैसे किया जाये या इस समस्या का निदान कैसे किया जाये—इस का सरकार को कोई ज्ञान नहीं था। अब 1980 तक सरकार ने 612 करोड़ रुपए सें सेंटर से इंवेस्ट किया यानी 1980 के इन तीन दशकों में 693 करोड़ रुपए कुल खर्च हुए, 81 करोड़ पहले और 612 करोड़ बाद में। इसके साथ

साथ कुछ राशियां राज्य सरकारों ने खर्च कीं, जो कम्युनिटी डवलपमैंट में, सामुदायिक विकास या स्थानीय विकास में या उनके यहां जो पिछड़ी जातियों या पिछड़े गांवों की कल्याणकारी योजनाएं थीं उनमें से खर्च किया होगा, उसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। हां, यह जरूर है कि इसके अनुसार 17,000 गांवों में नल बिछाए गए, 12 लाख कुएं खुदवाए गए और 95,000 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1980 तक हमारे 6 लाख गांवों में से केवल एक लाख गांवों मे पीने के पानी का इंतजाम था और वह कितना था, वह पर्याप्त था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। पर्याप्त, कितना होगा, इकी डेफिनेशन भी उस समय नहीं थी। यह तो परिभाषाएं आज आ रही हैं कि पर्याप्त का क्या मतलब होगा।

महोदय, सन् 1978 और 79 में एक विवक इवेलूएशन स्टडी की गई, जो बड़ी चौंकाने वाली थीं। मैं उससे कहूंगा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और सदन को भी ध्यान देन चाहिए कि वह सरकार जो अपने आपको गरीबों की कल्याणकारी सरकार कहती थी, जिसने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, जो समाजवादी सरकार कहती थी, उसने पानी के मामले में एक विषमता की थी। वह जो स्टडी हुई, इसको जरा आप गौर से सुनें। इसमे जो पूर्णतया गरीब बस्तियां थी, टोटली पूअर विलेज, जो कि पूरे तौर पर निर्धन लोगों की थीं, उनके 34 परसेंट में सिर्फ 16 परसेंट पानी उपलब्ध था, जबकि जो पूर्णतया धनिक बस्ती थी उनके 17 परसेंट में लगभग 20 परसेंट पानी उपलब्ध था। वहां 17 परसेंट और वहां 34 परसेंट, लेकिन वहां पानी की उपलिब्ध 16 परसेंट और यहां पानी की उपलब्धि 20 परसेंट। इस तरह से पीने के पानी में भी आपने विषमता रखी। आप उन्हें शिक्षा नहीं दे पाए, आप उन्हें खाना नहीं दे पाए, आप उन्हें चिकित्सा की सब सुविधा नहीं दे पाए, आप उन बस्तियों में सड़कें नहीं दे पाए, उनको तो छोड़िए, आपने उन्हें पीने का पानी भी नहीं दिया। कौन रहता है उन बस्तियों में? निर्धन, गरीब, दलित जातियां रहती हैं, खेतिहर मजदूर रहता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज रहतेहैं और उनके लिए हिन्दुस्तान की सरकार ने, केन्द्र सरकार ने सन् 1980 तक जो व्यवस्थाएं की, उनका नतीजा यह है कि एक भारी विषमता, भारी एक प्रकार का अन्याय है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इनकी पेयजल योजना का उद्देश्य, नीति और नियत इस तरह की थी।सन 1980 तक आपने इस देश की पेयजल की समस्या के बारे में एक बहुत सी सरसरी तौर पर काम किया है कि कुछ देना है। आपने इस देश की पेयजल समस्या की तरफ गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया है। यह मेरा आरोप है कि सन 1980 तक नहीं बल्कि मैं आपको साबित करूंगा कि सन 1995 तक आपने इस देश की पेयजल समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया और देश की सबसे बड़ी बुनियादी समस्या जो पेयजल समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया और देश की सबसे बड़ी बुनियादी समस्या जो पेयजल समस्या है उसका दुर्लक्ष किया है। आदमी बिना खाने के रह सकता है कुछ दिन के लिए, लेकिन पानी के जीवन असंभव है।

मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस तरह से पीने के पानी का भेद करते हैं और किस तरह से आप इसमें विषमता बढ़ा रहे हैं। जब यह अध्ययन हुआ, जिसमें यह नतीजे निकले तो उसके बाद कुछ सुझाव दिए गए। इनमें यह कहा गया कि भाई, यह तो साफ किया जाना चाहिए कि प्रोब्लम विलेज कौन है, संकटग्रस्त गांव किसको कहा जाए, फिर यह भी बात साफ होनी चाहिए कि जल का स्रोत कहां स्थापित किया जाए, अगर हैंडपंप लगाना है तो कहां लगायें। स्टैंड पोस्ट लगाना है तो कहां लगाया जाए, उसकी लोकेशन उसकी स्थिति का ज्ञान ठीक ढंग किया जाना चाहिए क्योंकि बिना इसके बुहत गड़बड़ हो रही है। कुछ बस्तियों में पानी बहुत पहुंच रहा है और कुछ बस्तियों में बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी देखिए कि गांवों की आबादी की बनावट क्या है, उनकी संरचना कैसी है, कहां गरीब लोग रहते हैं कहां दलित लोग रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एक बार मैं इलाहाबाद जिले में घूम रहा था। कुछ हरिजन लड़के मेरे पास आए। मैंने खुद जाकर देखा कि जिस गड्ढे के अंदर जहां पशु लोटे हुए थे, उसी गड्ढे से गांव के लोग पानी पी रहे थे। इसके अलावा वहान और कोई पीने की व्यवस्था नहीं थी। तब हमने आकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा, उनके ले जाकर दिलाया, कि आप क्या कर रहे हैं। इलाहाबाद जिले में पता लगा कि किस तरह से पेयजल के बारे में भारी उपेक्षा, दुर्लक्ष किया गया है। आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी मैं संसद सदस्यों से मिलता हूं, उनसे बात होती है तो मालूम होता है कि उनके पास संसदीय कोटे का जो एक करोड़ रुपया है उसमें जो मांग आती है उनमें सबसे अधिक मांग हैंडपंप की और पीने के पानी की होती है। यह इस बात को साबित करता है कि आज भी, 1995 तक भी आपकी पेयजल की समस्या बनी हुई है और गांव वाले आज भी पेयजल के लिये हाहाकार करते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायरिटी पेयजल की है। अब छठी पचवर्षीय योजना में

आ जाइए। छठी योजना के सामने तो राष्ट्र संघ का प्रस्ताव भी आ गया था। छठी योजना 1980-85 के बीच में शुरू रही। राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पास किया था और वह प्रस्ताव पढ़ा महत्वपूर्ण था, मैं आपको उसकी कुछ लाइनें सुना सकता हूं। यहान दिल्ली में ही एक कांफ्रेंस हुई थी और उस कांफ्रेंस में एक स्टेटमैंट पास किया गया था, बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और एक स्ट्रेटेजी फार दि डिकेड आफ 1990 तय की गई थी, जिसके मुख्य उद्देश्य यह थी, यह न्यु दिल्ली स्टेटमेंट भी कहलाता है।

"(a) Protection of environment and safeguarding of health through integrated management of water resources and ligquied and solid wastes;

(b) institutional reforms promoting an integrated approach including changes in procedure, attitudes and behavhous and full participation of women at all levels;

(c) involving local institutions in implementing and sustaining water and sanitation programmes;

(d) sound financial progress achieved through better management practices of existing assests and widespread use of approporiate technologies."

यह सामने था और इसीलिये छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर इस जल की समस्या पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दिया गया और अब जो नये आंकड़े बताए कि कितने गांवों में इन्होंने किस-किस तरह किया, उसके परिणामस्वरूप यह लगता था कि पांचवी योजना में जो काम खत्म हो गया था, उसके बाद 57,000 गांवों को पानी देना था, लेकिन राज्य सरकारों ने कहा कि यह जो आपने अभी सर्वेक्षण कराया है, यह रिलायबल नहीं था बहुत जल्दी में कराया गया है इसलिए दोबारा एक सर्वेक्षण होना चाहिए और बिना उसके पता नहींचलेगा कि असलियत क्या है। अब आप देख रहे हैं कि एक बार सर्वे हुआ उसने गांवों की संख्या एक लाख से ऊपर कर दी, अब दोबारा सर्वे किया गया तो उसके अनुसार 2,31,000 गांव समस्याग्रस्त थे। पहले मैंने आपको 1,20,000 बताए थे, 1,53,000 गांव समस्याग्रस्त थे। उसके बाद योजना चलती रही 8 साल तक पानी देते रहे और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कह दिया गया कि अब सिर्फ 57,000 बाकी है फिर राज्य सरकारों ने कहा कि नहीं, यह तो गलत बात है, जो सर्वे हुआ था उसमें गिनती ठीक नहीं थी, फिर से गिनती कराइए। फिर सर्वे हुआ और इस नए सर्वेक्षण के अनुसार 2,31,000 गांव समस्याग्रस्त थे और 71-72 में 1,53,000 थे, 80,000 बढ़ गए।

श्री जगेश देसाई: क्राइटेरिया बदल गया होगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी: अब क्या रहा है, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन गांवों की संख्या निरंतर बदल रही है। मैं एक ही बात जानता हूं कि आंकड़े बदल रहे हैं, आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है और प्रत्येक प्लान से अगले प्लान में गांवों में पानी पहुंचाने

(उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) पीठासीन हुईं)

की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन समस्याग्रस्त गांव भी उतने ही बढ़ रहे हैं। हमने पहले सुना था कि हनुमान जी का सुरसा के मुंह में प्रवेश हुआ था तो जैसे-जैसे हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते थे, सुरसा अपना मुंह बढ़ा लेती थी। **(Interruptions).** They have done two more surveys. I will tell you what has happened. मामूली नहीं हुआ है। इस तरह से छठी पंचवर्षीय योजना में आपने 2,485 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 802 करोड़ रुपए था और 116 करोड़ रुपया बाकी आपकी जो और तरह की योजनाएं थीं, उनमें आपने खर्च किया। कुछ हिस्सा राज्य सरकारों का था जो सामुदायिक विकास योजना और वहां की ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत था, एम०एन०पी० के अंतर्गत था, एम०एन०पी० के अंतर्गत था। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 से 90 तक। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार सिर्फ 40,000 संकटग्रस्त गांव बचे थे। जब छठी योजना पूरी होने लगी तो उन्होंने अपना एस्टीमेट दिया और कहा कि सिर्फ 40,000 संकटग्रस्त गांव हैं जिनमें पेयजल पहुंचाना था लेकिन 1.4.85 को एक सर्वेक्षण हुआ जिसके अनुसार 1.4.85 को इन गांवों की संख्या 1,62,000 थी। छठी पंचवर्षीय योजना यह कहती है कि सिर्फ 54,000 गांव बचे हैं लेकिन एक सर्वेक्षण हुआ जो 1.4.85 को कहता है कि नहीं साहब, 1,62,000 नए गांव हैं। अब सातवीं योजना के सामने समस्या आ गई वह 40,000 गांवों के लिए इंतजाम करे या 40,000 + 1,62,000 इतने गावों के लिए इंतजाम करे। यानी यह क्या हो रहा है? हर पंचवर्षीय योजना के बाद बजाए इसके कि संकटग्रस्त गांव घटते, संकटग्रस्त गांव बढ़ते जा रहे हैं। हर पंचवर्षीय योजना में पेयजल केलिए पैसे का आवंटन अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है, 30 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,485 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और गांवों

की संख्या बढ़ते-बढ़ते जो समस्याग्रस्त हैं वह फिर से एक लाख बासठ हजार हो गई। अब सातवीं योजना ने कहा कि यह तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि छठी योजना के बाकी गांवों को कवर करेंगे और 1985 के जो नए गांव आए हैं उसको भी आच्छादित करेंगे और अगर कोई नया विलेज पता लग जाएगा तो उसको भी आच्छादित करेंगे। जहां पानी दूषित है, जहां वाटर कंटेमनेटेड है उसको भी हम ठीक करेंगे तथा लोगों को ठीक ढंग से पानी मिले उसकी भी व्यवस्था करेंगे। और उन सब गांवों को भी आच्छादित करेंगे जहां दस लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम पानी मिलता है या इसके नजदीक पानी मिलता है। इस पर मैं आगे आऊंगा, यह कैसा गोरख धंधा है, मैं वह भी बतलाना चाहता हूं।

सरकार ने एक मेन्युअल बनाया कि गांवों में और शहरों में पीने का पानी का क्या औसत रहना चाहिए। उससे भी सरकार की नीयत और सरकार की दृष्टि का पता लगता है कि सरकार किस ढंग से सोचती है। यह मेन्युअल किसी एक्सपर्ट कमेटी ने बनाया है। उसने कहा कि तुम पीने के पानी का इंतजाम आज कर रहे हो लेकिन तीस साल बाद इस देश की जनसंख्या कितनी होगी उसको ध्यान में रखकर पीने के पानी का इंतजाम करो। अब इसका मतलब यह है कि तीस साल की पौपुलेशन प्रोजक्शन करने के बाद फिर पेयजल की योजनाएं बननी चाहिए। वह अलग प्रश्न है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हैंड पम्प लगते हैं वह दस साल तक रहता है। हैंड पम्प की लाईफ दस साल है। तीस साल तक आने वाली जनसंख्या के हिसाब से पेयजल की योजना बनानी है तो थ्री हैंड पम्प इन दि सेम विलेज, यह तो लगने ही चाहिए, क्योंकि हैंड पम्प तो दस वर्ष से ज्यादा चलेगा नहीं! तो यह भी एक पहलू है जिसकी तरफ हमें ध्यान रखना है। हैंड पम्प की संख्या और उनका लगाना यह एक अलग बात है जिस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन मैं मेन्युअल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यह मेन्युअल पानी का उपयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किस ढंग से किया जाए, इसका उल्लेख करता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा है। जिसके घर में नल की टोंटी है या जो बाहर लगे स्टेंड पोस्ट से या हैंड पम्प से पानी लेता है। और शहर में तो यह सोचकर चलते हैं कि घर में टोंटी ही है। अब कहते हैं कि पीने के पानी का जहां तक सवाल है, यह चाहे शहर हो या गांव हो, चाहे घर में टोंटी लगी हो, चाहे स्टेंड पोस्ट हो लेकिन हर एक को तीन लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन प्रक्षालन के लिए शहर वालों को 20 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए और गांव में जिसके घर टोंटी है उसको 15 लीटर पानी चाहिए और जो स्टेंड पोस्ट से लेते हैं उसको 10 लीटर चाहिए। यानी प्रक्षालन में शहर के लोगों को ज्यादा की जरूरत है, वह बीस लीटर से करेगा। अगर गांव का आदमी है तो वह घर में टोंटी से 15 लीटर खर्च करेगा और वह बाहर से लेता है तो 10 लीटर खर्च करेगा। नहाने के लिए भी अगर शहर का आदमी है तो उसको 32 लीटर का खर्च करने की इजाजत है। गांव वाले को जिसके घर में टोंटी है उसको बीस लीटर पानी की जरूरत है। अगर में अपने गांव चला जाऊं तो मुझे 20 लीटर में नहाना चाहिए और अगर मैं शहर आ जाऊं तो मुझे 32 लीटर में नहाना चाहिए। अगर मैं वहां स्टेंड पोस्ट पर नहाता हूं तो मुझको सिर्फ 15 लीटर में ही नहाना पड़ेगा, यानि नहाने में पानी कितना लगे यह उस पर निर्भर नहीं करेगा कि आदमी की असली जरूरत क्या है, बल्कि वह उस पर निर्भर करेगा कि आप शहर में रहते हैं और आप घर में रहते हैं, आपके घर में टोंटी है या आपके घर में टोंटी नहीं है। इससे भी आगे देखिए बर्तन धोने, भोजन पकाना। भोजन पकाने में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हर एक को भोजन पकाने के लिए 5 लीटर तीनों श्रेणियों को मिलना चाहिए। लेकिन शहर के आदमी को बर्तन धोने के लिए 20 लीटर प्रतिदिन मिल सकता है। लेकिन जिसके घर में टोटी है ऐसे गांव वाले को सिर्फ 12 लीटर मिलेगा और जो हैंड पम्प या स्टेंड पोस्ट से लेता है उसको सिर्फ सात लीटर में ही अपने बर्तन धोने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं शहर में खाना खाऊं तो मेरी थाली कम गंदी होगी। अगर मेरे घर से बाहर पानी है तो और भी कम गंदी होगी क्योंकि वहां तो मुझे सात लीटर की जरूरत पड़ेगी। कपड़े धोने के लिए भी सबसे विचित्र बात है। वह कहते हैं कि अगर शहर में आदमी रहता है तो 20 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कपड़े धोने में खर्च कर सकता है। मगर गांव में रहने वाले को कपड़े धोने का अधिकार नहीं है। उसके लिए इस पानी का कहीं जिक्र नहीं है। यानी अगर में दिल्ली में रहता हूं तब तो मैं कपड़े धो लूं और अगर मैं अपने गांव में चला जाऊं तो मैं कपड़े नहीं धोऊं। गांव वाले से यह आशा नहीं की जाती कि वह कपड़े धोएगा। जबकि आज जो प्रोग्राम चलता है उसका नाम है—रूरल वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन। सफाई, स्वच्छता यह इस कार्यक्रम का अंग है। लेकिन सरकार का मेन्युअल कहता है कि गांव वाला अगर गांव में रहेगा तो उसे कपड़े धोने की इजाजत नहीं है। शौचालय की सफाई के लिए शहर में 35 लीटर, ठीक है। वह

कहते हैं कि वहां तो वेस्टर्न टाईप का सिस्टम है, सीवरेज है। लेकिन जिसके घर में गांव में टॉटी है उसको 15 लीटर और जिसके पर में टॉटी नहीं है उसे शौचालय की सफाई के लिए किसी पानी की जरूरत नहीं है। यह भी एक विचारणीय बात है। वह टॉयलेट पेपर का प्रयोग करेगा और शहर वाला व्यक्ति 20-25 लीटर पानी का प्रयोग करेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या मैनुअल है? यह किस ढंग से लोगों के पीने के पानी की और पानी की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा रहा है? कौन सी ऐसपर्ट कमेटी थी और किस तरह से उन्होंने हिसाब लगाया है कि शहर में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन और गांव में जिसके घर में टॉटी है, उसे 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन और जिसके घर में हाथ नल की टॉटी बाहर है, उसे 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन। यानि न्यूनतम पानी की मात्रा 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तो होनी ही चाहिए अगर हम इस मैनुअल को भी मान लें।

आगे में आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जिन गांवों को ये आच्छादित कहते हैं, कवर्ड कहते हैं, वहां भी 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी नहीं मिलता है। आज दिल्ली में भी 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी नहीं मिलता, मद्रास में नहीं मिलता, बंबई में नहीं मिलता। इसलिए कौन सा स्टैंडर्ड है, किसका ये पालन करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं देश के सामने कैसा पानी दे रहे हैं? आज भी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के हजारों गांव ऐसे हैं जहां का पानी खारा है, जहां के पानी में आरसेनिक है, जहां के पानी में नाइट्रेट्स हैं, जहां के पानी में लोहा है, जहां के पानी में फ्लोराइड है। ये किस प्रकार के मानक बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से उसको पूरा किया जा रहा है, यह मेरी समझ में आज तक नहीं आता है।

अब उसके बाद सातवीं योजना शुरू होती है। 1986 में टेक्नालॉजी मिशन की स्थापना की गई जिसका नाम था "नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन" जिसे आज आप "राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन" कहते हैं। इस योजना में केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों की ग्रामीण पेयजल योजनाएं शामिल कर दी गई। पहले एक सरकार चलाती थी, प्रदेश सरकर अलग-अलग चलाती थी फिर दोनों को शामिल कर दिया गया फिर अलग कर दिया गया। अब फिर शामिल कर दिया गया है। यानि यह कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है, किस हद तक है? क्या यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह केवल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है? अगर यह दोनों की मिली हुई जिम्मेदारी है तो दोनों को मिलाकर चलाइए। अगर केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है तो केन्द्र सरकार को पूरे तौर पर लेना चाहिए और मैं यह समझता हूं कि इस जिम्मेदारी से केन्द्र सरकार बच नहीं सकती क्योंकि यह मौलिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को पेयजल की उपलब्धि, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, यह उपलब्ध कराना हर सरकार का कर्त्तव्य है और अगर इसमें आप राज्य सरकारों को शामिल करके उनका दायित्व बनाते हैं तो फिर योजनाएं साफ-साफ होनी चाहिए, जिम्मेदारियां साफ-साफ बंटी होनी चाहिए, ऐरियाज ऑफ फंक्शनिंग साफ होने चाहिए।

श्री जगेश देसाई: मॉनीटरिंग साफ होनी चाहिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मॉनीटरिंग भी साफ होनी चाहिए। मॉनिटरिंग तो होती नहीं है आपको मालूम ही है जो मैं बातें कह रहा हूं। जो ए०आर०डब्ल्यू०एस०एस०पी० और एम०एन०पी० दोनों मिला दिए गए हैं और खैर 1991 से तो इसका नाम "राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन" आपने रख दिया लेकिन अब आप जरा आठवीं पंचवर्षीय योजना का हाल देखें 1990-91 और 1991-92 की वार्षिक योजनाएं। इसमें कुल खर्च 2319.3 करोड़ रुपया हुआ और प्रॉब्लम विलेजेज की संख्या जो इन्होंने कवर की है, वह 7679 है। 2319 करोड़ से इनमें से टोटली कवर्ड जिसको कहते हैं पूरे तौर पर आच्छादित प्रॉब्लम विलेजेज थे उनकी संख्या 7679 की है और जो पार्शियली कवर्ड थे, वह 74,000 थे लेकिन रुपया 2319.3 करोड़ खर्च हुआ। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब मैं जरा आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले का हिसाब बता दूं कि क्या हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): एक मिनट जोशी जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती हूं। आपके दल का 22 मिनट का समय था, आपने 35 ले लिए हैं, और कितना लेंगे, यह जानना चाहती हूं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: महोदया, यह सवाल सिर्फ दल का नहीं है। मैं सदन से जानना चाहूंगा, अगर सदन चाहेगा तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): नहीं, नहीं आप बोले।

डा० मुरली मनोहर जोशी: लेकिन मैं आपको इस देश की 40-45 वर्षों में हजारों, करोड़ों रुपए की पेयजल की योजनाओं के बारे में मैं बता रहा हूं और फिर सरकार से उसके भविष्य की नीतियां सुननी हैं।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): महोदया, गांवों में पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। यह जरूरी है, पेयजल की बहुत गंभीर समस्या है। यह सच बता रहे हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सात योजनाओं तक का हिसाब इतना हुआ कि 1981 की जनगणना के आधार पर कुल गांव 5,83,000 थे जिनमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध था। छठी पंचवर्षीय योजना तक उनकी गिनती है 4,21,281। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो गांव कवर हुए, वे थे, 1,53,357 1990-91 और 1991-92 के अंदर जो गांव कवर हुए, उनकी संख्या थी 7,679। तो इस तरह से जो गांव बचे हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए, उनकी संख्या 2,968 थी। यह गांव आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध थे और सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 7,648 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के खर्च हुए। कुछ राज्य सरकार के भी खर्च हुए और कुछ राज्य सरकारों ने खर्च किया होगा पर मेरा ख्याल है वह करोड़ से ज्यादा नहीं था। कुल मिलाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक लगभग साढ़े आठ हजार करोड़ रुपया इस देश ने खर्च किया और यह कहा कि अब सिर्फ 2,968 गांव बाकी बचे हैं जिन्हें पानी पिलाना है। खास तौर पर अब आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह लक्ष्य स्पष्ट था और इसी के आधार पर काम शुरू हुआ लेकिन जो 1991-93 में पेय जल योजना की स्थिति का एक सर्वेक्षण कराया गया और यह सर्वेक्षण राज्य सरकारों और यूनियन टैरीटरीज़ के द्वारा कराया गया तो केन्द्र सरकार ने कहा कि हम इसे नहीं मानते, हम इसको वैरीफाई करेंगे। सैंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आपने कराया होगा पर हम इसको वैरीफाई करेंगे, तो फिर यह वैरीफाई हुआ। वैरीफाई 48 संगठनों के माध्यम से कराया गया जिसमें आई०आई०पी० स्कीम, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम, सोशल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम थी और उनसे कहा गया कि आप इसको वैरीफाई कीजिए जो राज्य सरकारों ने किया है। तो अब वैरीफिकेशन के बाद जो घौटाला हुआ है, इसको और समझ लीजिए तथा अब क्या हालत है, प्रधान मंत्री जी ने जिसको साफ किया था और जिसका उल्लेख हमारे माननीय मंत्री जी ने किया था, वह इसमें से निकलता है। 1991-93 में जो सर्वेक्षण हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि एक बात हम समझ लेते हैं कि गांव अकेला गांव नहीं होता, गांव के पास टोले भी होते हैं, हैबीटेंट्स भी होते हैं, वाजिब बात है, ठीक बात है, यह बात की जानी चाहिए थी, बहुत पहले की जानी चाहिए थी। लेकिन यह बात हुई 1991 और 93 के सर्वेक्षण में। तो दो हिस्सों में बांट दिया गया—मुख्य बस्ती और उसके साथ टोले। हैबीटेशन्स। हैबीटेट्स और हैबीटेशंस। तो मुख्य बस्तियां 1991-93 का जो सर्वे स्टेट गवर्नमेंट ने कराया था उसमें वह कहते हैं कि 67,836 अनकवर्ड है। जबकि तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2968 थे। Now the number has gone up to 67,836; they are uncovered. The number of partially covered is 1,84,026 and the number of completely covered is 3,7,691. जो हैबीटेशंस थी, छोटे टोले, छोटी बस्तियां थीं, उसमें नॉट कवर्ड, इस संख्या को सुनिए। नॉट कवर्ड 2,11,640 थे। It was in small villages. यह संख्या बची हुई थी क्योंकि वहां तो पानी पहुंचता ही नहीं था।

A rich person or a politically influential person with muscle and money power.

वह सारा गांव का पीने का पानी अपने यहां से ले जाकर खड़ा कर लेगा, चार हैंड पम्प अपने यहां लगवा लेगा, बस्तियों में पानी नहीं जाएगा और बस्ती गांव से डेढ़ किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर है। So, it becomes a problem of habitation. तो यह नॉ कवर्ड थे, 2,11,640 और पार्शली कवर्ड थे, 1,82,773. The total comes to roughly four lakhs and the number of fully covered is 3,64,733.

अब इनसे कहा गया कि इसको हम नहीं मानते, वैरीफाइ करेंगे। वैरीफिकेशन की फिगर है, 24,130 -अनकवर्ड। अब इस अंतर को देखिए। 67,836 अनकवर्ड, यह तो स्टेट गवर्नमेंट के थे और सैंट्रल गवर्नमेंट की टीम 24,113 कहती हैं। इसी तरह से पार्शली कवर्ड में 184 के बदले वह 198 हो गयी और कंपलीट्ली कवर्ड में 3 लाख 7 हजार के बदले हो गयी 3 लाख 37 हजार। इसी तरह से अन्य बस्तियों में नॉट कवर्ड 2 लाख 11 हजार से घटकर 1 लाख 16 हजार हो गयी। पार्शली कवर्ड 1 लाख 82 हजार से बढ़कर 2 लाख 32 हजार हो गयी और फुली कवर्ड 3 लाख 64 हजार से बढ़कर 4 लाख 10 हजार हो गयी। This is the Validation Survey, 1994. यह मैं बोल रहा हूं। अब यह जो संख्या जब मैंने देखी तो मैंने पापूलेशन देखी कि यह पापूलेशन कैसे हो रही है। गांव की बस्तियों की संख्या तो घटी और बढ़ी, उसके अंदर भी मुझे कहना यह है कि यह जो सत्यापन है, इस सत्यापन के बारे में मुझे संदेह है। क्यों संदेह है मैं आपको बताता हूं। उनसे कहा गया कि आप सारी मुख्य बस्तियों का पर्सनली विजिट करें वैरीफिकेशन के लिए और वैलीडेशन के लिए आप सारी मुख्य बस्तियों को निजी तौर पर जाकर देखेंगे। जो पार्शली कवर्ड है उसका 30 परसेंट देखेंगे। अगर आप हिसाब लगायें तो 67,836 को पूरा देखना है और 1,84,000 का 30 परसेंट। यह हुआ 61 परसेंट। दोनों को आप मिलायें तो 1,21,178 प्लेसेज में इस टीम को जाना है। 48 टीम हैं और तीन महीने का टाइम है।

It means that each and every unit will have to visi 2,736 habitats in 90 days. It means that each unit will have to cover more than 30 habitats in a day. How is it possible to cover so many habitats in a short period of three months, that too in the months of June and July?

मैं यह जानना चाहता हूं कैसे क्या क्या होगा। लोकल आदमी कौन से लिये होंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से आदमी उनको सप्लाई किये होंगे? जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मैंने पाया कि वैलीडेशन का भी वैलीडेशन होना जरूरी है। यह जनता को धोखा दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने कुछ किया होगा तो हो सकता है उसमें कुछ कम ज्यादा हो। जो यह बात कर रहे हैं यह टोटली फ्रॉड है। सारे देश को गुमराह किया जा रहा है। घर पर बैठे आप आंकड़े बना रहे हैं और सारे देश को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैंने प्रधान मंत्री जी को उस दिन कहा था। मुझे खुशी होती अगर वह आज यहां मौजूद होते। उस दिन उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि डा० जोशी आप जानते हैं कि सरकारी अफसर कैसे करता है। सरकारी अफसरों का घपला है या सरकारी मंत्रियों का घपला है इसका फैसला तो देश करेगा लेकिन घपला जरूर है। आप आज हमारे मंत्री हैं। इनका घपला करने की कैपेसिटी इनफाइनाइट है। वह रेलवे प्लेटफार्म को भी बेच सकते हैं, गांधी मैदान को भी बेच सकते हैं। कितने ही स्टैण्ड पोस्ट नीलाम हो जायेंगे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जनसंख्या को देखें। वैलीडेशन करने के बाद जो जनसंख्या आती है वह तमाशे की बात है। राज्य सरकारों ने जो सर्वे किया उसमें नोट कवर्ड पापुलेशन 11.08 परसेंट थी और पार्शली कवर्ड थी वह 41.36 परसेंट। इस तरह से दोनों मिलाकर 52 परसेंट हुई। राज्य सरकार कहती है 52 परसेंट पापुलेशन या तो अनकवर्ड है या पार्शली कवर्ड है। सत्यापन वाले कहते हैं जो नोटकवर्ड है वह 5.25 परसेंट है और जो पार्शली कवर्ड है वह 45.8 परसेंट है। यह भी 51 परसेंट है। उनका कहना है कि गांव को इधर से उधर लेकर कर दिया। वह भी मैं कैलकुलेट किया। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी देख सकता है कि कितने गांव को उठाकर क्या किया। नोट कवर्ड को उठाकर कहां पार्शली कवर्ड में कर दिया है और पार्शली वालों को फुल में कर दिया। आज सवाल यह है कि इस तरह से इन सारी बातों से आप देश को गुमराह कर रहे हैं। जब यह सवाल मेरे सामने आया तो मैंने बहुत सी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी। मैंने पार्टी के हिसाब से या किसी और हिसाब से उसको नहीं देखा है। मैंने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी। दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थीं। मैंने जयललिता जी को लिखा, मैंने रामाराव जी को लिखा। गुजरात, महाराष्ट्र आदि तमाम प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि बताईये पीने के पानी की हालत यह क्यों है। मैं आन्ध्र में जाता हूं तो पीने का पानी दिखाई नहीं देता। महाराष्ट्र में जाता हूं तो पीने का पानी दिखाई नहीं देता क्या कारण है? मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक ने जवाब दिया। वह स्थिति को बताते हैं। उत्तर प्रदेश के माताप्रसाद जो वहां के मुख्य सचिव हैं उन्होंने यह पत्र भेजा जुलाई 19 को। उनके हिसाब से गांवों में पानी के लिए 1800 करोड़ रुपये की जरूरत है। वह यह कहते हैं।

The number of habitations yet to be covered in plains is 28,409. This is only in Uttar Pradesh. The number of habitations yet to be covered in hills is 5,836. The number of partially covered habitations in plains in 83,400. Now look at these two figures. It is more than one lakh. This is in respect of Uttar Pradesh only.

यह हो क्या रहा है मुल्क के अन्दर? हमको यह बताया जा रहा कि अब 248 गांव बाकी रहते हैं। उसमें से यह बात निकली है। आज हालत यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर 28409 नॉट कवर्ड हैं इनहेबीटेशंस। यह क्या परिस्थिति हो रही है? इसी तरह से गुजरात में मुझे बताया है जैसे पंचमहल का एग्ज़ेम्पल है। वहां गोमाकाली प्रकल्प सिंचाई है जिसमें पेयजल का भी लाभ मिल सकता है। मैं अहमदाबाद गया था जहां पीने के पानी का संकट है। लेकिन अगर सरदार सरोवर की मुख्य नहर में से सिर्फ 6 मिनट नहर का पानी मिल जाए तो अहमदाबाद की पेयजल समस्या का समाधान हो सकता है। पंचमहल में अगर गोमाकाली प्रकल्प सिंचाई को ठीक कर दिए जाएं तो वहां पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। बिहार को देखें। दक्षिण बिहार तो त्राहि-त्राहि कर रहा है। मेरे मित्र जर्नादन यादव जी शायद उपस्थित नहीं हैं (व्यवधान) मंत्री जी तो उत्तर बिहार के हैं। उनको दक्षिण बिहार से कोई मतलब नहीं है। वहां को खान-वान बिछवानी हो तो बात अलग है। लेकिन उत्तर बिहार में वे मस्त हैं। उत्तर बिहार में भी मिथिलांचल। वह कहता है कि दक्षिण बिहार में जो स्रोत का मापदंड है, इससे काम नहीं चलेगा। जो ढाई सौ व्यक्तियों पर एक स्टैंड पोस्ट की बात कही जा रही है, यह संभव नहीं। सही बात है। वहां दूर दूर तक टोले हैं। 10 आदमी यहां रहते हैं, 20 आदमी वहां रहते हैं। जंगल के इलाके में सारे ट्राइबल्ज़ रहते हैं। वह कहते हैं कि हमें कम से कम एक सौ लोगों पर-डेढ़ सौ लोगों पर

एक स्टैंड पोस्ट लगाने की सुविधा होनी चाहिए नहीं तो पीने का पानी कोई मतलब नहीं है। अब वह कहते हैं आज राज्य में 21542 टोले स्रोतहीन हैं और 24376 टोले ऐसे हैं जो आंशिक रूप से आश्रित हैं। करीब करीब 50 हजार यहां भी हैं। तो दक्षिण बिहार की जो समस्या है वह तो भंयकर है। आप लोग वहां जाएं। मैं तो कहूंगा मिश्र जी से कि हो सके तो एक चक्कर वहां का लगाएं। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जिलेवार आंकड़े मुझे भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि 15770 ढाणियां बिना पानी के हैं और कहा कि 11660 गांव हैं जहां पानी तो पहुंच गया है लेकिन यह जो मापदंड है 40 लीटर का इसका सवाल ही नहीं है। 10 लीटर-15 लीटर पानी मिलता है। फिर वह कहते हैं कि यह आंकड़े भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या डब्ल्यु-11014/7/94 दिनांक 29.12.94 को सही माने हैं। यह उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इन सारे गांवों को पानी पिलाने में कई हज़ार रुपयों की आवश्यकता होगी, क्या सरकार इसका प्रबंध करेगी? महाराष्ट्र की सरकार के आंकड़े भी मेरे पास हैं। और राज्यों सरकारों के भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो समस्या है इसको मैं जितने दिनों से देख रहा हूं मुझे बहुत चिंता हो रही है इस देश की। आज देश के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट आपने पैदा कर दिया है। इस देश में जहां पहले हर नगर में गर्मियों में लोग प्याऊ लगाते थे, जहां पानी लगाना, छबील चलाना अपना धर्म समझते थे, कर्त्तव्य समझते थे कि कोई आदमी प्यासा न रह जाए। जहां इतनी व्यवस्था करते थे कि पशु और पक्षियों के लिए भी अपने घर में पीने के पानी के कटोरे रखते थे कि अगर पक्षी भी आए तो चोंच में पानी ले कर के चला जाए। जिस देश के अन्दर लोग जन्म और मृत्यु के समय कुएं खुदवाना, बावड़ी खुदवाना अपना धर्म समझते थे। जहां अशोक से ले कर शेर शाह सूरी और अहिल्याबाई, और उसके बाद निज़ाम हैदराबाद ने भी पीने के बारे में हमेशा..(व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मरने के बाद भी जल देते हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: आपने बिलकुल ठीक कहा कि मरने के बाद भी जल देते हैं लेकिन अब शायद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मरने के बाद तो कौन कहे जिन्दा को भी पानी भी नहीं मिलेगा। शायद चुल्लु भर पानी भी इस देश में इस देश के राजनीतिज्ञों को और इस देश की जल समस्या का निदान करने वालों को डूबने के लिए नहीं मिलेगा। यह क्या आप कर रहे है? भगवान के वास्ते इस देश की जल समस्या को पेयजल समस्या की गम्भीरता को समझिये। लाखों लोगों के जीवन से मत खेलिये। आप इस देश के लिए केवल यह समझेंगे नल लगाना और हैंड पम्प लगाना इतने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, यह एक गहरी समस्या है, इसको टुकड़ों में बांट कर मत देखिये। यह पर्यावरण से जुड़ी हुई है। यह समस्त वाटर मेनेजमेंट से जुड़ी हुई है। मैं आपको पता सकता हूं कि इस देश के अन्दर कितना पानी बरबाद जा रहा है। जो वर्षों से हम को मिलता है उसका केवल 6 या 7 प्रतिशत आप ठीक ढंग से रख लें तो यहां की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त है। आपने तमाम गांवों के तालाब नष्ट कर दिये तो भूतल के नीचे जल जाएगा कैसे? आपने पानी के संभरण की तमाम व्यवस्थाओं को छोड़ दिया। आप हिन्दुस्तान को केवल पश्चिमी रास्ते से पानी पिलाना चाहते हैं। कभी नहीं पिला पाएंगे।

भारत में परंपरागत तरीकों को देखिए। गांवों में जब तक आप इस तालाब संस्कृति का विकास नहीं करेंगे, जब तक आप पर्यावरण के साथ इसको नहीं जोड़ेगे जब तक आप भारी मात्रा में वनीकरण नहीं करेंगे, जब तक आप वर्षा से प्राप्त होने वाले पानी को निरर्थक समुद्र में नहीं जाने देंगे उसका संभरण नहीं करेंगे—जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं थी—जब तक आप इस देश के पेयजल का संकट दूर नहीं कर सकते हैं। आप विदेशी टेक्नोलाजी से इस देश को पानी नहीं पिला सकते है। आजकल आपने दूध और पानी का भाव बराबर कर दिया है। आप बिसलेरी के पानी की बोतल खरीदते हैं वह भी 10-12 रूपए की एक बोतल मिलती है और दूध का पैकेट जो आप खरीदते हैं वह भी 10-12 रुपए का लीटर मिलता है।...(व्यवधान) दूध और पानी का दाम अपने बराबर कर दिया है। अगर गांव वाला पीने का पानी मांगेगा तो आप कहेंगे कि मल्टी नेशनल पीने का पानी आ रहा है आप उसको पीजिए। आप बाकी सारी चीजें तो मल्टी नेशनल ला ही रहे हैं, अब पीने का पानी भी मल्टी नेशनल ला रहे हैं।

क्या ये सारी बाते हम नहीं कर सकते है? क्या इस देश की समस्याओं का, पेयजल जैसे संकट का हम निदान नहीं कर सकते है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने यह विभाग लिया है, अगर आप इस

पेयजल के संकट का निवारण करेंगे तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी सैकड़ों पीढ़ियों को यहां के लोग जल प्रदान करते रहेंगे और आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे और यह कहेंगे कि आपके जैसे मंत्री ने....**(व्यवधान)**

अच्छा जबर्दस्ती दिया गया है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

डा० जगन्नाथ मिश्र: अपनी इच्छा से है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: तो पता लग जाएगा 4-6 महीने में कि जजमान कितने आते जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं। गंभीरता के साथ कि मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूं, सारा देश चिंतित है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और देश के तमाम विकास कार्य इसके कारण से रूके रहेंगे। आर्थिक विकास नहीं होगा, देश का स्वास्थ्य नहीं सुधर सकेगा। इसलिए आप इसको टुकड़ों में न बांटिए। केवल हैड पंप और कुएं खुदवाने तक सीमित न रहें। यह एक बड़ी समस्या है। यह कई चीजों के साथ मिलकर बनी हैं। इसलिए राष्ट्रीय जलनीति पर पुनर्विचार करें। इस मामले को गंभीरता के साथ लें और राष्ट्रीय जलनीति पर पुनर्विचार करें। इस मामले को गंभीरता के साथ लें और राष्ट्रीय विकास के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गंभीरता से ध्यान दें। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): महोदय, हमारे भारतवासी जिन मुख्य समस्याओं से ग्रस्त हैं उनमें जो खास है वह यह है कि स्वास्थ्य पेयजल उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे माननीय जोशी जी ने इस पेयजल की समस्या की गंभीरता को समझते हुए बड़े अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। यह हम सबके लिए और विशेष रूप से सरकार के लिए न केवल सोचने का विषय है बल्कि कुछ करने की भी आवश्यकता है। स्वच्छ पेयजल सप्लाई के लिए विभिन्न योजनाएं विभिन्न सरकारों ने समय समय पर बनाई हैं और कई कार्यक्रमों का उल्लेख माननीय जोशी जी ने किया जिनमें मिनी मिशन कार्यक्रम, उप मिशन कार्यक्रम, गिनीकमी? कार्यक्रम, फ्लोरोसिस दूर करना, क्षारपन दूर करना, आर्सेनिक दूर करना, आयरन दूर करना आदि हैं। ये सब उन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल थे। उसका उन्होंने उल्लेख किया है। यह भी बताया कि पिछले दिनों से जो हमारे ग्रामीण जन हैं उनकी जो यह प्रमुख पेयजल की समस्या है यह गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है। यद्यपि सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना जो सन् 92 से प्रारंभ हुई उसके अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना के अंतर्गत कुछ राशि नियत की थी जो 1992-93 में 458-99 करोड़ थी जो बढ़ाकर 735 करोड़ 1993-94 में हुई । और 1994-95 में बढ़ाकर 809 करोड़ हुई। इसी प्रकार से जो न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम था वह 1992-93 में उसके तहत 799 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो बढ़ाकर 1993-94 में 876 करोड़ रुपये हो गया और 1994-95 में 896 करोड़ रुपये हो गया। तो यह राशि तो निरन्तर बढ़ती गई लेकिन उस बढ़ी हुई राशि का कितने लोगों को लाभ हुआ और जो ज्वलंत समस्या है पेयजल की समस्या उससे कितने लोगों को छुटकारा मिला, किस रूप में उसकी समस्यायें हल हो पाई वह एक सोचने का विषय है और उस पर सरकार को निश्चित रूप से गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है उस वार्षिक रिपोर्ट में जो मानदंड तय किए गए थे, जैसा कि माननीय जोशी जी ने उसका उल्लेख किया कि प्रत्येक मानवीय उपयोग के लिए प्रतिदिन 40 लीटर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए इसके अतिरिक्त मरुभूमि के लिए भी दिया है और प्रत्येक 250 व्यक्ति पर एक हैंडपंप की व्यवस्था और स्टैंड पोस्ट की व्यवस्था का उसमें जिक्र है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में कितना होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में कितना होना चाहिए उस सब का ब्यौरा दिया गया है। देखने का विषय यह है कि जितनी आवश्यकता है क्या हमने उस आवश्यकता की पूर्ति की है? यदि नहीं की है तो उसके क्या कारण हैं उन कारणों पर जाने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान बीच में एक सर्वेक्षण हुआ था उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा क्योंकि बहुत कुछ प्वायंट मेरे पूर्व वक्ता ने कवर कर लिए हैं। 1955 जो है उसमें हमारे भारत देश की जो पानी की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी वह 5277 क्यूबिक मीटर थी जो 1990 में घटकर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वह 2451 क्यूबिक मीटर रह गई। ऐसा अंदाज़ है कि यह और घटकर 1700 क्यूबिक मीटर रह जाएगी जो भारत के लिए बहुत गंभीरता का विषय है। 1955 में जहां जो वाटर के अवेलेबिलिटी थी वह इस देश में ज्यादा थी जो 1990 में घट कर उस वाटर की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारे हिन्दुस्तान में फिर कम हो गई और फिर 2005 तक जो सर्वेक्षण है उसमें पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी और कम होने की संभावना है। यदि हम कंपैरेटिवली बर्मा, श्रीलंका, नेपाल की पर

कैपिटा अवेलेबिलिटी देखें तो हम देखेंगे कि यद्यपि वहां भी कम हुई, लेकिन वहां ऐसे उपाय किए जा रहे हैं कि यह वाटर अवेलेबिलिटी की जो अवेलेबिलिटी है वह कम न हो पाए इसलिए इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। जो राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन का कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें भी जो राशि तय की गई थी 225.87 करोड़ रुपये और जिसके लिए कि 55 मिनी मिशन प्रारंभ किए गए थे उसके तहत भी जो गांवों में खास तौर से रूरल एरिया में जितना हम लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जिसमें कि पानी लोहा रहित हो, आसेनिक रहित हो, जिसमें खारापन न हो, वह जो जितने वांछित परिणाम हमको मिलने चाहिए थे वह हमें नहीं मिल पाए हैं, इसे हमको गंभीरता से लेना चाहिए। महोदया, मैं इसके लिए केवल वर्तमान सरकार को दोषी नहीं मानता हूं, इसके लिए समय-समय पर जो सरकार रही मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनके समय में जो सार्थक पहल और भूमिका उस सरकार का होना चाहिए था वह नहीं हो पाई। मैं चूंकि मध्य प्रदेश से आया हूं, इसलिए मैं केवल मध्य प्रदेश की बात करूंगा। महोदया, हमारे मध्यप्रदेश में वर्ष 92 में जो आवंटन किया गया था आठवीं योजना में वित्तीय राशि का वह 28.19 करोड़ था और जो खर्च हुआ वह 27.02 करोड़ रुपए था मैं नहीं कहता कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जितना आवंटन किया गया था पेयजल की समस्या के निपटारे के लिए उतना खर्च नहीं हुआ, लेकिन यह एक गंभीर बात है। उस के अलावा अभी 1994-95 में जितना आवंटन किया गया उतना हमारे यहां खर्च हो चुका है और हम लोगों ने केन्द्र सरकार से कुछ मदद मांगी है। इसके अतिरिक्त जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था, उस के तहत मध्यप्रदेश में जितनी राशि आवंटित की गयी थी, वह 29.85 करोड़ थी, लेकिन वहां व्यय 37.45 करोड़ का हुआ। तो यह स्थिति है, लेकिन 94-95 में 52.42 करोड़ का आवंटन मध्यप्रदेश को किया गया और हम ने 52.442 करोड़ रुपया खर्च किया। मैं नहीं कहता कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी मध्यप्रदेश में तो उन्होंने पेयजल की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जितना पैसा उस समय केन्द्र सरकार से भेजा गया था, उस पैसे का पूरा-पूरा उपयोग पेयजल की आपूर्ति के लिए नहीं किया गया। इसलिए जब मैं यह कहूं तो किसी पर इसे आरोप नहीं मानना चाहिए क्योंकि जो सरकार समय-समय पर सत्ता में आई, चाहे इस पार्टी की सरकार हो या उस पार्टी की उन्होंने पेयजल की आपूर्ति के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। उसी का कारण है कि हम ने बहुत ज्यादा राशि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दी, लेकिन उस राशि का उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया जिन लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए वह राशि दी गयी थी। इसी प्रकार वर्ष 1992-93 से लेकर 1994-95 तक जितने गांव कवर होने थे, जितनी बसाहट कवर होनी थी, उस में निरंतर वृद्धि हुई, जैसेकि मध्यप्रदेश में 5,666 गांव कवर होने थे जोकि बढ़कर 9000 के करीब हो गए हैं। इसी प्रकार 1992-93 में जो जनसंख्या कवर होनी थी, वह 21.56 लाख कवर हुई जोकि बढ़कर मध्यप्रदेश में 25 लाख हो गयी। यद्यपि सरकार की तरफ से पहल तो की गयी, लेकिन उस के जो परिणाम निकलने चाहिए थे, वह नहीं निकल पाए और उसका कारण यह रहा कि हम ने फंड तो बढ़ाए, हम ने कार्यक्रम तो बनाए, लेकिन उस का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया, सही फीड-बेक नहीं लिया और समय-समय पर राज्य सरकारों की तरफ से इस गंभीर समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए ध्यान दिया जाना था, जैसाकि अभी निवेदन किया बीच में उस को हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया।

महोदया, मैं फिर से मध्यप्रदेश पर आता हूं। मध्यप्रदेश में 19 हजार मंझोले टोलों और पाराओं में पेयजल की व्यवस्था का अभाव है, उस के लिए हम ने 150 करोड़ रुपए का निवेदन किया है जिसके बारे में अभी तक हम को कोई उत्तर नहीं मिल पाया है, सार्थक पहल नहीं हो पाई है। इसी प्रकार जो ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाएं हैं, उनके अंतर्गत 250 की जनसंख्या को आधार मानते हुए जिस राशि की मांग की गयी है, वह पूरी हमें नहीं मिल पायी है। कई जगह निरूपयोगी हैंडपंप आज भी हैं। माननीय जोशी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब हमारे संसद सदस्य एक करोड़ की राशि प्रदान करने के लिए गांवों में जाते हैं तो यह सत्य है कि सबसे ज्यादा कोई मांग यदि आती है तो वह आती है हमारे गांव में हैंडपंप खुदवा दीजिए। हमें पानी की बहुत परेशानी हो रही है। हमारी बहनें और बेटियां बहुत दूर से माथे पर मटका लेकर आती है। मैं समझता हूं, यह पीने के पानी की समस्या और हैंडपंप की समस्या हर जगह है, लेकन जब हम लोग यहां पूछते हैं तो आंकड़े बता दिए जाते हैं कि इतने हैंडपंप लगाए गए हैं, इतने रुपये खर्च हुए हैं। यह जानकारी नहीं रहती कि क्या वह हैंडपंप वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं? महोदया, 50 प्रतिशत से ज्यादा जगह पर जो हैंडपंप लगे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान

आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि वह बहुत जागरूक मंत्री है और ग्रामीण विकास में उनकी दिलचस्पी है और वह गांवों से जुड़े रहे हैं, वह इस बात का सर्वेक्षण करवाएंगे कि ऐसे कितने स्थान हैं जहां कि हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन निरुपयोगी हैं जोकि यहां आंकड़े दर्शाए गए हैं और यदि वह निरुपयोगी हैंडपंप हैं तो वह फिर से उपयोग लायक हों, इस के लिए उन की क्या योजना है?

पानी का जो जलस्तर है, नलकूपों का जलस्तर है वह निरंतर गिरता जा रहा है। इस गिरते जल स्तर के रख-रखाव के लिए जो भू-जल संरक्षण संवर्धन योजना है, जो कि विभिन्न राज्य-सरकारें द्वारा प्रस्तावित की गई है, उनको भी गंभीरता से लेना आवश्कयक है, जब हम पेयजल की कमी पर विचार कर रहे हैं। खासतौर से, माननीय जोशी जी हिली एरिए से आ रहे हैं, पठारी क्षेत्रों में जल स्तर निरंतर कम होता जा रहा है, जबकि वहां ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो संवर्धन योजनाहं बनी हैं, जो भू-जल संरक्षण योजनाएं बनी हैं, उनको हम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए।

मैडम, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं विदेशों की, जो पेयजल की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों को वित्तीय मदद दे रही है। इनमें वर्ल्ड बैंक की भी स्कीम है, लेकिन जीवन बीमा निगम की स्कीम जो है, उसमें पेयजल की समस्या के निस्तार के लिए 70 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में देना चाहिए, जैसी मांग है, चाहे केन्द्र सरकार इसमें मदद करे। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में भी निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। 20,000 से कम जनसंख्या वाले जो नगर हैं, वहां के लिए जो योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित की गई हैं शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इनको गंभीरता से लेंगे तभी हम लोग इन सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं।

आज हम स्वच्छ पेयजल नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए जब हम आंकड़ों में जाते हैं तो पता लगता है आर्सेनिक से संबंधित जो पानी है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है। जहां आयरन मिल रहा है, उसके लिए क्या किया है। जो खारापन दूर करने वाली बातें हैं उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। जो फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र लगाए गए हैं, उनके लिए अनुमोदित संख्या 783 है, अभी हमने कुल संचय किया है वह 427 किया है। मंत्री जी को इस बारे में देखना चाहिए कि फ्लोराइड दूर करने के जो संयंत्र लगने चाहिएं वह पूरे के पूरे लग जाएं। यद्यपि इस मामले में आशातीत सफलता मिली है। खारापन दूर करने के लिए भी संयंत्र होने चाहिए। गांव में क्या होता है कि हमने कुआं खोदा, हैंडपंप खोदा और वहां से खारा पानी निकला। गांव में जिस मकसद को लेकर, जिस प्रयोजन को लेकर हम लोग हैंडपंप लगाते हैं, उसका ध्यान न रखकार लोग उस खारे पानी को पीते हैं। चूंकि मैं गांव से आया हूं और इसलिए मैं इस बात को जनता हूं। जो वहां खारा पानी रहता है, उससे कपड़े जो धोते हैं वह साफ नहीं होते हैं। तो उस खारेपन को दूर करने के लिए जो संयंत्र की अनुमोदित संख्या थी वह 163 थी, लेकिन जो संचय हुए हैं वह 150 के करीब हैं। लौह दूर करने के लिए संयंत्र हैं, उनकी संख्या 15,548 होने चाहिए, लेकिन वह 8,968 अभी हुए हैं। इस प्रकार के और भी कुछ आर्सेनिक दूर करने के लिए संयंत्र लगने चाहिएं। इस मामले में अभी जबसे इन मंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, यह उपस्थित है इसलिए मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन्हें दूर करने के लिए, खारापन दूर करने के लिए जो संयंत्र लगने चाहिएं, पिछले एक महीने में उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि जितनी इनकी अनुमोदित संख्या थी वह पूरी हो क्योंकि तभी वांछित रिजल्ट हमें मिल सकता है और हमारी जो मुख्य समस्या है शुद्ध पेयजल की, उस समस्या से हम लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं।

मुझे विश्वास है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने तक जो राशि इसके लिए नियत की गई है इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत, उस राशि का सही रूप में उपयोग होगा और उस राशि का सही उपयोग होने से लोगों की यह पेयजल की समस्या का निराकरण होगा, लोगों को शुद्ध पेयजल यह मंत्रालय माननीय डा० मिश्र जी के नेतृत्व में उपलब्ध करा पाएगा। धन्यवाद।

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Thank you Madam for giving me this opportunity to speak. As you know, Madam in this House drinking water is a great problem. Our Prime Minister had assured the House during the last session that a discussion over this matter will be held. Unfortunately, during the last session that discussion could not be held. From this we can very well know the intention of the present Government as far as drinking water problem is concerned. Madam, the other thing that I want to say is that there was an Unstarred Question No. 7375, dated 25th May, 1995. The question was whether the

Government had adopted any norms, i..e quantity, etc. to supply safe drinking water to every human being per day. The answer was, "the present norm is to supply 40 litres of safe drinking water *per capita* per day within 1.6 kms in plains and within 100 metres elevation difference in the hills. One hand pump or stand-post is provided for every 250 persons." Then, part (c) of the question was: "By what time the safe drinking water will be provided to every habitat of the country? The answer was: "All 'not covered' habitations are likely to be provided safe drinking water by 1997."

So, it was contemplated that all the villages, so far as the habitations are concerned, will be covered by 1997. According to Starred Question No. 61 about the villages and habitations that have been covered, the figures were: in 1992-93, it was 34,360; in 1993-94, it was 41,488; in 1994-95, it was 70,968. It comes to a total of 1,46,816. So far as the target for 1995-96 is concerned, it is 86,746. And the achievement is only 11,357. So, you can very well imagine about the answer that drinking water to every human being will be provided by 1997. Till now, so far as habitations are concerned, they covered only 1,46,816. So far as population covered is concerned, as per Starred Question No. 61, it was 172.388 in 1992-93, 163.179 in 1993-94, 227.655 in 1994-95. The target for 1995-96 is 264.900. And the achievement is only 35.955. So, the population presently covered is only five crores. So, you can well imagine what the future position will be as far as drinking water is concerned. As far as the backlog is concerned, the things would have been more clear if the figures for the years 1992-93 to 1995-96 had been given. Since the backlog is not given, the Governemnt is not in a very clear position to say what the achievement was in 1992-93, 1993-94, and 1994-95. So, the Government is not very clear as to what they are going to do so far as drinking water is concerned., As you know, Madam the scheme has been changed from year to year. It has been changed first from the Five-Year Plna. Subsequently, it was changed from year to year. So, the Government is not clear about what they are going to do.

[The Vice-Chairman (Shri Suresh Pachouri) (in the Chair)]

Sir, the Members of the Standing Committee in their Repot have expressed surprise that so far as the Staes are concerned, the backalog figures for 1992-93, 1993-94 and 1994-95 were not available. They could not get any details from the States as to what they spent in respect of drinking water. So, there was a great concern. So, I want to ask the hon. Minister as to what they are going to do so far as monitoring is concerned. How do they get the figures?

There is another important thing. In the State of Orissa, the drinking water system is not working properly. As you know, Sir, in the villages, the existing sources are tanks and wells and rivers.

Therefore, the people are not getting safe drinking water. They are getting contaminated water as a result of which they suffer from several types of diseases.

Coming to my State, Orissa, as per the figures given in this statement, the habitations covered in 1992-93 was only 1,600; in 1993-94 it was only 5,460; in 1994-95 it was only 7,351. The target for the year 1995-96 is only 6,000. The achievement is only 1,842.

So far as the population covered is concerned, the number covered in 1992-93 was 5,114; in 1993-94 the number was 1,167; in 1994-95 the number was 10,290. The target for the year 1995-96, so far as the population to be covered is concerned, was 7,800. The achievement, up till June, is 2,500. (in lakhs)

At present, in the State of Orissa, only 16,253 villages have been covered. So far as the population is concerned, 19.071 (in lakhs) people have been covered. We have, in Orissa, altogether 51,061 revenue villages. The number of villages covered so far is only 16,253.

I would say that the drinking water problem throughout the country is very bad. Unofrtunately, the Government is not dealing with the problem with the seriousness which it deserves. So far as the tribal areas are concerned, so far as the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population is concerned, they are facing a lot of difficulties. They are going to distant places for the purpose of getting drinking water. In this situation, as I have said, the norm which has been fixed, i.e. 40 litres of water, is quite inadequate. To get even this 40 litres of water, people have to walk three kilometres. In the hill areas, they have to walk two hundred metres. Therefore, so far as the people living in the tribal and hill areas are concerned, the policy of the Government has to be changed so that they are able to get safe drinking water very close to where they are living.

The claim being made by the Government that the whole population would be covered by 1997 is hollow. Therefore, my question to the hon. Minister is very clear and categorical. Whatever figures they are giving, whatever they are saying before the Standing Committee and whatever they are saying on the floor of the House are all false. They should not give false information as this would only result in the people losing faith in the schemes of the Government. The Government should come forward with proper schemes and give correct information. They should tell us as to by which time they would be able to provide safe drinking water to the entire population.

Thank you.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, गांवों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के बारे में बहुत चर्चा हुई है। लेकिन इस विषय की जो खासियत है और हिन्दुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, माननीय सदस्यों ने शुद्ध पानी न होने की चर्चा जरूर की, लेकिन हिन्दुस्तान की भौगोलिक स्थिति मौसम पर आधारित रही है। समय-समय पर वह सब हिन्दुस्तान में बदलता रहा है और जहां पानी की समस्या थी वहां तो पनी उपलब्ध कराया। जहां प्रोब्लम रहित गांव थे वहां पर प्रोब्लम खड़ी हो गई।

इस देश के अंदर किसी क्षेत्र में अकाल पड़े, किसी क्षेत्र में नदी पर बड़े-बड़े तालाब बने, बांध बने। वर्षा नहीं होने के कारण पानी डीप में आए, तो सरकार इस समय-समय पर इस समस्या से छुटकारा देने के लिए अपने कार्यक्रम चलाती रही है और यह कार्यक्रम चलाने का जीता जागता उदाहरण हमारी पंचवर्षीय योजनाएं है। सरकार ने गांवों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तीन करोड़ रुपए खर्च किए।

6.00 P.M.

दूसरी पंचवर्षीय योजना में 48 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवीं पंचवर्षीय योजना, इस तरह से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक हमारा टोटल खर्च 91-92 तक राज्यों के क्षेत्र में 9886.33 करोड़ और केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने खर्च किया है 10281.96 करोड़। तो हम इस बात को नहीं मान सकते कि सरकार ने पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए अपने प्रयत्न नहीं किए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस में 10-12 साल तक लगातार अकाल पड़ा तो वहां पीने का पानी मिलता था, जहां कहते थे कि बहुत पानी है, उस गांव के लोग आज पानी के लिए दर-दर भटकते है, दूसरे गांवों में जाते है। तो जो माननीय जोशी जी कह रहे थे पर जोशी जी को इस ओर भी देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें मैं समझता हूं कि मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसी को देखते हुए गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या को देखते हुए देश का जो आठवां प्लान बनाया गया, इसके अंतर्गत जो अनुमान केन्द्रीय क्षेत्र में पैसा खर्च करने का है वह 5100 करोड़ रुपए का है और राज्यों के क्षेत्र में जो न्यूनतम आवश्यकता है, उसमें 4954.23 करोड़ रुपए खर्च करने की है। साथ ही साथ राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन में जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत 2005.988 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्देश किया गया है। तो हम कुल मिला कर यह कह सकते हैं कि जो आठवें प्लान में पैसा रखा है, इससे जितनी भी समस्याएं हैं, जिस प्रकार के आंकड़े अधिकारी बना कर दे देते है कि इतने गांव प्राब्लम रहित कर दिए हैं हमने, इन आंकड़ों पर मंत्री जी आपको नहीं जाना चाहिए। आपको वास्तविकता का सर्वेक्षण कराना पड़ेगा क्योंकि कई तो राज्य सरकारें ऐसी है, जितना पैसा हम शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए देते है, वे उसको

यूटिलाइज़ पूरा नहीं करती है। कई सरकारें ऐसी हैं जो कि उस पैसे को दूसरे कामों में लगा लेती हैं। माननीय जोशी जी उदाहरण दे रहे थे राजस्थान की सरकार का। मैं सुन रहा था। राजस्थान की सरकार का उदाहरण मैं जब देखने लगा कि राजस्थान में टोटल कितने हैंड पम्प हैं और कितने हैंड पम्प चालू हैं, राजस्थान सरकार की रिपोर्ट है कि राजस्थान में 1,23,120 हैंड पम्प हैं और चालू हालत में 1,08,200 हैं। मुझे बड़ा अफसोस है जोशी जी, जिस एरिया से मैं आता हूं उस में 30 परसेंट हैंड पम्प भी चालू नहीं हैं और मेरे गांव में 10 हैंड पम्प हैं जिनमें से एक भी चालू नहीं है लेकिन आपकी सरकार की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार से कहा जाता है कि हम पैसा दे रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं। पहले देखिए, राजस्थान की सरकार, इन पिछली योजनाओं में कितनी पैसा इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार को मिला है और कितना यूटिलाइज किया है, पहले तो मुख्य मंत्री जी से पूछिए कि आप पैसा खर्च क्यों नहीं करते हैं?

केन्द्र सरकार को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपने इतना पैसा ग्रामीण विकास में पानी उपलब्ध कराने के लिए रखा है। साथ ही सरकार ने शैडयूल्ड कास्ट और डैडयूल्ड ट्राइब्स के एरिया को भी नहीं छोड़ा है। उस एरिया में पानी पहुंचाने के लिए 1991-93 के बीच एक सर्वे कराया गया था और उससे पहले क्या होता था कि गांव को एक इकाई माना जाता था लेकिन 1991-93 के सर्वे के अंतर्गत एक बस्ती को, एक मोहल्ले को इकाई माना गया है। उसी को आधार बनाते हुए शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स की जो बस्तियां है, उनको पानी उपलध कराने के लिए, शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिए या तो हैंडपम्प के माध्यम से उपलब्ध कराया है या कहीं रीजनल स्कीम है। दोनों स्कीमों से नल योजना के माध्यम से उनको पानी उपलब्ध कराया है या कहीं कुएं खुदवाकर, कुओं की व्यवस्था करके पानी उपलब्ध कराया है लेकिन माननीय मंत्री जी मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी हैंडपम्प की योजनाओं और कुंओं की योजनाओं को बंद कर दीजिए। यह भौगोलिक स्थिति के आधार पर नहीं चल सकती क्योंकि मौसम लोगों का साथ नहीं दे रहा है। गांव में रहने वाले लोग पानी के लिए मौसम पर आधारित रहते हैं। इसलिए आप कुएं और हैंडपम्प की योजना को बंद करके रीजनल स्कीमें गांव-गांव में प्रारम्भ करें क्योंकि मुझे देखने को मिलता है और जैसा जोशी जी ने कहा है कि हमारे पास एक करोड़ रुपये हैं तो लोग हैंडपम्प की बात कब करते हैं, वह तो सीधी रीजनल स्कीम की बात करते हैं कि हमारे यहां तो पाताल तक बोरिंग कराओ और उस स्कीम से हमें पानी दो। हैंडपम्प की बात तो केवल शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग करते हैं, दूसरे लोग हैंडपम्प और कुओं की बात नहीं करते। वह लोग केवल घर में रीजनल स्कीम से पानी आ जाए घर में बैठे-बैठे, यह बात करते हैं। इसलिए सरकार ने सर्वे के आधार पर गांव के अंदर शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स की जो बस्तियां है, प्राथमिकता के आधार पर उसके लिए धन अलाट किया है और पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए हैं। मैं इस सरकार की उपलब्धि के साथ यह बता रहा था कि इस सरकार की अकाल की स्थिति में पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए टोटल 25,08,746 हैंडपम्प खोदने की योजना थी और 22,64,514 हैंडपम्प खोद पाए हैं, जो वर्किंग हालत में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्टैंड पोस्ट है 6,33,584 हैं और वर्किंग कैपेसिटी में 1,91,977 हैं। मतलब करीब चार लाख स्टैंड पोस्ट कोई काम नहीं आ रही हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि जहां भी इस प्रकार से फिजूल में पैसा खर्च हो रहा है, जो पानी सप्लाई करने के लिए, गांव के आदमी को शुद्ध पानी पिलाने की जो योजना है, उसमें जो फिजूल की योजनाएं हैं, इनको रोकिए। एक बात मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जिस एरिया से आता हूं, वहां 20-25 किलोमीटर दूर से गांव में पानी आता है। पानी की स्कीमें करीब 30-40 वर्ष हो गए लेकिन वह योजनाएं जो सुचारू रूप से चल रही थीं, आज उनमें दिक्कतें आने लग गयी हैं। आपके जितने भी ट्यूबवैल बनाए गए थे, वह सब सूख गए हैं। अब हालत दूसरी हो गयी है। इसलिए आपकी पाताल तक कोई कुएं या बोरिंग करने की स्कीम हो।

जो रीजनल स्कीम पुरानी चल रही हैं उन स्कीमों में जो बोरिंग हुई है उनमें पानी आना बंद हो गया है। आप एक-एक, दो-दो ऐसी बड़ी बोरिंग कराए जिससे इन स्कीमों के चलते पानी मुहैय्या हो सके तो अच्छा है, नहीं तो स्कीम बंद हो जायेगी। जोशी जी कह रहे थे कि प्रधान मंत्री से आग्रह किया कि आप इतने गांव लें, कम गांव लिये हैं। अगले साल गांव बढ़ गये। ये गांव दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। आपके हैंडपम्प ज्यादा से ज्यादा दस साल तक पानी की समस्या को मिटा सकते हैं यानी मुश्किल से दस साल चलते हैं। स्थिति यह है दो साल या तीन साल से ज्यादा आपके हैंडपम्प सक्सैस नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से आपके कुएं की स्थिति है। जो कुएं खुदवाये गये है क्या आपने उनका सर्वे कराया कि वास्तविक रूप में कितने कएं खुदे है और कितने नहीं खुदे हैं, केवल आंकड़े बताते हैं कि इतने हमने कुएं खोदे हैं जबकि वास्तविक रूप में इतने कुएं खुदे नहीं हैं। मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है कि केन्द्रीय सरकार ने जितना पैसा इस आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए दिया है यदि उसका सही युटीलाइजेशन सरकारें करें तो पानी की समस्या

काफी हद तक दूर हो सकती है। मैं यह भी कह रहा था कि हमारे केन्द्रीय ग्रामीण विकास सचिव है डी०एम० युगान्दर उन्होंने भी कहा है कि 9वी योजना के अंत तक अभी गांवों को शुद्ध जल उपलब्ध करा देंगे। उसी के तहत 95-96 के अंतर्गत 14 अरब रुपये खर्च करने की बात है। गांव को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की भावना जो सरकार की है। उससे हम इस बात को नहीं कह सकते कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। जितना पैसा इस योजना पर सरकार एलाट करती है उसका सदुपयोग स्टेट्स की गवर्नमेंट करें, इस बात का निरन्तर ध्यान रखा जाए और समय-समय पर उनका सर्वे भी कराया जाए कि कितना काम सही रूप में हुआ है। इस का मूल्यांकन भी होते रहना चाहिए। साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि गांव में कितनी ऐसी स्कीमें है जिनमें एस०सी०एस०टी० की बस्तियों के नाम पर जनरल कास्ट की बस्तियों में हैंडपम्प और कुएं लगाये गये हैं इसकी आप जांच कराकर पता लगायें और उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें जो एस०सी०,एस०टी० के नाम पर 'कुएं और हैंडपम्प जनरल लोगों के यहां जाकर खोद देते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, after the very impressive speech of Dr. Murli Manohar Joshi, I was wondering whether anything was left to be said. I thought he had covered practically all aspects of the issue now being discussed. I thought, maybe because Murliji is a good Hindu, I should start with the Ganga water. I know that a large number of people all over the country, out of faith, out of trust, take the Ganga water for all kinds of reasons. But they do not realise that they are drinking poison. It is the most polluted water one can think of. *(Interruption)*. It is polluted before it reaches Bengal. We try to purify it in our own way.

During Rajiv Gandhi's period, there was an attempt to purify the Ganga water through the Ganga Action Plan. The idea was that the water released by various industrial units should be first purified and only then released into the river. And municipalities which used the Ganga as a big drain should not be permitted to do so and their drainages should be diverted elsewhere. These were the ideas. I would like to know how the success of the Ganga Action Plan has been. My only impression is, maybe certain amount of work has been done. It do not say that nothing has been done. But my feeling is that there is a feeling of dissatisfaction with the rate at which the work is being done. For example, I know of many industrial units which now have all these gadgets for purification and all that. They keep them running when the inspector comes. As soon as the inspector leaves, the machines stop working and they release polluted water into the Ganga. That is one main problem we face.

Another problem that we face is with the ground-water. Naipaul, a novelist of Indian origin writing from outside, visited India once after a long, long time. One of the things which disgusted him was, when he was travelling by a train, looking through the window in the morning, he saw a large number of people defecating in public. The fact is that a large number of people use the fields as toilets, public toilets. That pollutes the sub-soil water. Even if you use a handpum later, it will draw only the pulluted water. That leads to all kinds of water-borne diseases. Certainly, we are aware of this. Once solution would be to emphasise, along with the need for drinking water, the need for better sanitary facilities. The toilet system should be universalised in the villages. It is really primitive. A vast majority of our people do not have the means, the money. They have to go to the fields for satisfying one of their primary needs. Now the time has come. If you really want to modernise India, ensure sufficient number of toilets and ensure that sufficient subsidy is given. It should not be left to the market. If you leave it to the market, the villagers who do not have sufficient purchasing power, will not be able to instal toilets. So subsidy has to be given to ensure that they have a decant life, the disgraceful practice is stopped and, at the same time, the water remains less pulluted, certainly not polluted from that king of source.

Another aspect of it is that I think that even handpumps may not be a solution. There are, for example, some geological problems. We had in West Bengal recently a large number of arsenic cases. Eventually it was found that there was a substantial area which was affected by arsenic deposits. It is a geological problem and there has to be a technological solution to it. It has affected the Health of a large number of people. Then there is the problem of salinity. If you are near the sea-coast then, the tube-well you have to sink would have to go down 500-600 feet, maybe more than that, which will make it very, very expensive. for example, even in the case of hilly areas--Mr. Joshi mentioned about the tribal areas where the settlements are widely dispersed, very large or very small settlements of 100 to 200 people--the water line passing through a difficult terrain becomes highly expensive. There is a limit. You cannot go beyond this. So, these are the major technological issues which need to be taken up as a big challenge by all of us.

Then comes the question of water supply in the towns. Now, one of the things which really make me feel very uncomfortable is that every day when I flush my toilet, the amount of water I use is more than the average amount of water used by a man living in the *basti*. I also live in a multi-storeyed building. Although, in Calcutta, our water supply system is better than that in any other metropolitan city, that is the average. Still the disparity in the distribution of drinking water within the city is so big that for the flushing of toilets in the posh flats we use a large amount of water whereas that amount is not consumed by the people living in the villages. I see another problem which is not realised by the people living in the multi-storeyed buildings. They have their own deep tubewell system through which they draw water. They say that they are not using the Calcutta Corporation water. They say that they have their own tubewell system. But they are tapping the common reservoir and what happens is that the hand pumps run dry because the deep tubewells suck up water. In the vicinity of these multi-storeyed buildings, in many *bastis*, you find that there is no sufficient water available which is certainly a very tragic thing. So, one of the things that I would like to say, in addition to what Dr. Joshi has said, is that it is not only a question of adequate supply of water. That certainly is a very, very big issue and a lot has already been said about that. But, no less important question is the question of distribution. In Bengali we say, water is JOLE JIBDON, JOLL JIBDON means water is life. Water, of course, is one of the very basis needs of human life. What I have seen in Africa is appalling. But what can one do? The nature is against them. In India, the nature is not so much against them. If we can have a well worked-out water policy in certain areas which is combined with other types of policies, maybe, it can work. For example, in the rural areas, I was thinking that we have so many deep tubewells all over the countryside which can draw out water which is purer. Now, the deep tubewells are used only for irrigation purposes. Why can't we make use of the deep tubewells also for the distribution of water in the neighbouring areas? Some of them are already in use. But there is certain room for innovation, for technological upgradation and for institutional changes. I don't have the time to go into all these things. But I am certainly happy to say that the issue has been raised and it has been dealt with quite satisfactorily, to a certain extent, and we hope that rather than taking a partisan view of this, all of us would be concerned about this and try to do whatever is possible to make water reach every household not only in quantity but also in right quality so that it does not lead to water-borne diseases and all that.

Thank you.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष

महोदय, डा० मुरली मनोहर जोशी जी ने सारे तथ्यों को इस सदन के सामने रखा। यह जो पूरे देश की पेयजल की समस्या है वह बहुत ही गंभीर है और सरकार इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा तो इस गंभीर समस्या के कई हिस्से हैं। एक हिस्सा तो यह है, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि जो डा० जगन्नाथ मिश्र जी आंकड़ा देंगे तब उसका जांच करना पड़ेगा, तो हम लोगों के पास कौन सी मशीनरी है कि जांच करें। वह तो 28-28 संगठनों से जांच कराते हैं फिर भी वह मिल नहीं पाता है। वैरी करती है रिपोर्ट। इसलिए पहले सरकार इसे स्वीकार करे सभी लोग कह रहे हैं कि यह एक गंभीर समस्या है। महोदय, आजादी के 48 साली बीत गए और दुख की बात और क्या हो सकती है कि इस आजाद भारत में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी। इस से बड़ा दुर्भाग्य इस देश की जनता के लिए और क्या हो सकता है? यह सवाल किसी दल का नहीं है। चाहे किसी भी दल के लोग हैं, सभी को पानी को चाहिए और जो निर्दलीय लोग हैं, उन को भी पानी चाहिए। महोदय, पुराने जमाने की कहावत है कि, "जल ही जीवन है।" यहां दुर्भाग्य यह है कि जल ही नहीं देते भी हैं जो जीवन का बुरा हाल होगा ही। दूसरा पहलू यह है कि जहां आप पानी देते भी हैं तो कल या परसों इसी दिल्ली के कुछ इलाकों में गंदा पानी पीने से गेस्ट्रोएंटेरिटिस से अनेक बच्चे बीमार होकर हास्पीटल में पड़े हैं जिन का कि इलाज नहीं हो पा रहा है। आप सुदूर इलाकों की बात छोड़ दीजिए, यहां कुछ मर गए हैं और कुछ का इलाज ही नहीं हो रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन गांवों और टोलों तक आपने पेयजल की व्यवस्था नहीं की है, वहां व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से कीजिए।

महोदय, दूसरी समस्या यह है कि जहां आप पानी मुहैया करा भी रहे हैं, वहां शुद्ध जल नहीं मिलता है। आज देश की अधिकांश नगरपालिकाओं में क्या स्थिति है? वहां जो पुराने पाइप लगे हैं, वह फटे टूटे और सड़े हैं और ड्रेनेज साथ में हैं जिनसे कि नाली का गंदा पानी पाइप में चला जाता है और वह जल-आपूर्ति होती है। इस की आप जांच करा लें कि क्या यह सच नहीं है? महोदय, देश की अधिकांश नगरपालिकाओं की यही समस्या है।

महोदय, अभी हमारे साथी मीणा जी बोल रहे थे। वह बराबर बोलते रहते हैं और हम सभी महसूस करते हैं कि आज की राजनीति में कमीशन और कमीशनखोरी बड़ी बात हो गयी है। पहले इस से मुक्त होइए तभी आप किसी योजना को सही ढंग से कार्यान्वित कर सकेंगे। राजीव जी के नाम पर जो जल योजना चलाई जा रही है। राजीव जी ने कहा था कि एक रुपया यदि हम गांव में भेजते हैं, उस का मुश्किल से 15 पैसा ही पहुंचता है। वह तो आप के ही नेता थे, पूरे राष्ट्र के नेता थे और देश के प्रधान मंत्री भी थे। तो इस बात का आप ख्याल क्यों नहीं करते? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चापाकल हैंडपंप का पाइप गाढ़ते हैं, वह जहां पानी मिल गया वहीं गाढ़कर छोड़ देते हैं। उस को और नीचे नहीं ले जाते हैं। उसी तरह से बीस फुटा कुंआ या असफुटा कुंआ खुदवाते हैं आप गांवों में, उस में भी जरा सा पानी आया कि बंद कर देते हैं। वह काम ठेकेदार के जरिए कराते, भले ही उस का नाम डिपार्टमेंटल दीजिए, लेकिन वह होता है ठेकेदार है। कमीशीनखोरी और मुनाफाखोरी के चलते चांपाकल और कुंए की गहराई जितनी नीचे जानी चाहिए, वह नहीं होती हैं और इसका सबूत है बिहार। डा० जगन्नाथ मिश्र जी हमारे बिहार के ही हैं। वह वहां के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और सारी बातें से अवगत हैं। दक्षिण बिहार और मध्य बिहार में मार्च से लेकर जून तक इन चार महीनों पेयजल का गंभीर संकट कई वर्षों से हो जाता है। इस का कारण यह है कि चांपाकल का पानी नीचे चला गया और कुंए का पानी नीचे चला गया है। आप ने पेयजल मुहैया कराने के लिए जो मशीनरी बनायी है, वही गलत है। इसलिए इस में कुछ सुधार कीजिए और कुंओं को गहरा बनाइए, चांपाकल को गहरा बनाइए और जो गए पाइप गाढ़े जाएंगे क्या उन की देखभाल के लिए आप के पास कोई व्यवस्था है? अभी मीणा जी बोल रहे रहे थे कि हरिजन और आदिवासियों का कुंआ और चांपाकल गैर-आदिवासी और बड़े लोगों के यहां चला जाता है। यह होता है कि और बिहार में तो इस की पूरी जानकारी हम लोगों को है। इस के एक नहीं, अनेक उदाहरण दे सकते हैं। फिर जहां पानी है, उसमें लोहा मिला हुआ है, गंधक मिला हुआ है, खारा पानी है। आप उस को शुद्ध करेंगे तभी वह पीने योग्य होगा। पेयजल है, लेकिन उसके पीने से तरह तरह की बीमारियां भी हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि एक राष्ट्रीय नीति आप पुनः स्थापित कीजिए और जो सारे आस्पेक्टस हैं, पहलू हैं, उन पर गंभीरता से विचार कीजिए और जो गड़बड़ियां होती रही हैं उनको दूर करके सही मायने में देश की जनता के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएं। एक राष्ट्रीय नीति बनाइए, योजना बनाइए और एक लक्ष्य रखिए कि इतने वर्षों के

अंदर, लंबा समय नहीं, 21वीं सदी नहीं, इसी 20वीं सदी के अंदर ही सारा कर डालिए तो यह एक बड़ा भारी कार्य होगा।

अभी मीणा जी कह रहे थे कि सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, कर देंगे...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): अंसारी जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: कितने सेक्रेटरी आए, कितने मिनिस्टर आए चले गए। सवाल यह है कि आपकी नीति क्या है? नीति को आप अगर ठीक नहीं रखिएगा, उसको लागू करने की आपकी मशीनरी नहीं होगी, मोनिटर करने सिस्टम नहीं होगा, जो गड़बड़ी करता है उसको पकड़ने का सिस्टम नहीं होगा तो आपको योजनाओं का क्या मायने? योजनाएं आपकी चलती रही हैं, उसमें जितना आप लक्ष्य प्राप्ति चाहते थे उसमें आप फेल होते रहे हैं और गलत आंकड़ों के जाल में इस देश को ठगते रहे हैं। इससे तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसीलिए हम कहेंगे डा० साहब, आप आए, हैं, इस विभाग को आपने संभाला है, बिहार के साथ साथ पूरे देश की यह जो समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है, प्रधानमंत्री जी भी इस समस्या के निराकरण के लिए तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं, सभी दल के लोग तैयार है, इस पर गंभीरता के विचार करके एक राष्ट्रीय नीति बनाकर, पूरे देश में पेयजल मुहैया कराने के लिए ठोस योजना बनाकर, उसको कार्यान्वित करने की गारंटी के लिए और उसकी गड़बड़ी के निवारण के लिए जो भी मैकेनिज्म को उसको तैयार कर इस दिशा में आगे बढ़िए। यह देश के हित में होगा, आपके हित में होगा और सब के हित में होगा।

†[श्री जलाल उद्दीन अंसारी "बेबाक": आप सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। डाक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने सारे तथ्यों को उस सदन के सामने रखा। यह जो पूरे देश की पेयजल की समस्या है वह बहुत ही गंभीर है और सरकार को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। पर्यावरण

†[]Transliteration in Arabic Script.

मंत्री ने कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा। तो इस गंभीर समस्या के कई हिस्से हैं। एक हिस्सा तो यह है। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता। इसलिए कि जो डाटा जुटाना था मंत्री जी डाटा दीजिए तब इसका जायजा करना पड़ेगा तो हम लोगों के पास कोई ऐसी मशीनरी है कि जांच करें वह तो २८-२८ सालों से जांच कराते हैं फिर भी वह मिल नहीं पाता है। इसलिए पहले सरकार इसे स्वीकार करे सभी लोग कह रहे हैं कि यह एक गंभीर समस्या है। महोदय, आजादी के ४८ साल बीत गए हैं और दुख की बात और क्या हो सकती है कि इस आजाद भारत में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश की जनता के लिए और क्या हो सकता है। यह सवाल किसी दल का नहीं है। चाहे किसी भी दल के लोग हैं सभी को पानी तो चाहिए और जो नेतृत्व दिलाने वाले लोग हैं उन को भी पानी चाहिए। महोदय, पुराने जमाने की कहावत है कि "जल ही जीवन" है। यहां दुर्भाग्य की यह बात है कि जल ही नहीं है तो जीवन का बरकरार होगा ही। दूसरा पहलू यह है कि जहां आप पानी देते भी हैं। तो कल या परसों इसी दर्जे में कुछ इलाकों में गंदा पानी पीने से "डिसेन्ट्री इंडीविजन" से एक

ہی پہونچتا ہے - وہ تو آپکے ہی نیتا تھے - بڑے لیڈر کے نیتا تھے اور دیش کے پردھان منتری بھی تھے - تو اس بات کا آپ خیال کیوں نہیں کرتے - اسی لئے میں کہتا ہوں کہ چاپا کال کا جھنڈ جب گاؤں کے پاس آتے ہیں وہ جہاں پانی مل گیا وہیں گاؤں کر چھوڑ دیتے ہیں - اسکو اور نیچے نہیں لے جاتے ہیں - اسی طرح سے بیس فٹ کا یا دس فٹ کا کنواں کھدواتے ہیں آپ گاؤں میں - اسمیں بھی ذرا سا پانی آیا کہ بند کر دیتے ہیں - وہ کام ٹھیکیدار کے ذریعے کراتے ہیں پہلے ہی اسکا نام ڈیپارٹمنٹل دیجئے لیکن وہ ہے ٹھیکیدار کا - تو کمیشن خوری منافع خوری کے چلتے چاپا کال اور کنویں کی گہرائی جتنی نیچے جانی چاہیئے وہ نہیں ہوتی ہے اور اسکا ثبوت ہے بہار ڈائرکٹر جنرل کا نام شنکر جی ہمارے بہار کے ہی ہیں - وہ وہاں کے مکھیہ منتری رہ چکے ہیں - اور سارے باتوں سے اوگت ہیں دکشن بہار اور مدھیہ بہار میں مانسون سے لیکر جون تک ان چار مہینوں میں پینے جل کا گنبھیر سنکٹ کئی ورشوں سے ہو جاتا ہے - اسکا کارن یہ ہے کہ چاپا کال مہیا کرانے کیلئے جو مشینری بنائی ہے وہ ہی غلط ہے - اسلئے اسمیں کچھ سدھار کیجئے اور کنویں کو گہرا بنایئے چاپا کال کو گہرا بنایئے اور جو نئے پائپ گاڑے جائیں گے - کیا انکی دیکھ بھال کیلئے آپ کے پاس کوئی ویوستھا ہے - ابھی "میناجی" بول رہے تھے کہ ہر بچن اور آدی

بچے بیمار ہو کر ہاسپٹل میں پڑے ہیں جن کا کہ علاج نہیں ہو پا رہا ہے - آپ سدور علاقوں کی بات چھوڑ دیجئے یہاں کچھ مر گئے ہیں اور کچھ کا علاج ہی نہیں ہے اسلئے مہتو پودن بات یہ ہے کہ جن گاؤں اور ٹولوں تک آپنے پے جل کی ویوستھا نہیں کی ہے - وہاں ویوستھا یوجنا بدھ طریقے سے کیجئے -

مہودے - دوسری سمسیا یہ ہے کہ جہاں آپ پانی مہیا کرا بھی رہے ہیں - وہاں شدھ جل نہیں ملتا ہے - آج دیش کی ادھیکانشن نگر پالیکاؤں میں کیا استھتی ہے - وہاں جو پرانے پائپ لگے ہیں - وہ پھٹے - ٹوٹے اور سڑے ہیں اور ڈرینیج ساتھ میں ہے - جس سے نالی کا گندہ پانی پائپ میں چلا جاتا ہے اور وہ جل آپورتی ہوتی ہے - اس کی آپ جانچ کرا لیں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے - مہودے - دیش کی ادھیکانشن نگر پالیکاؤں کی یہی استھتی ہے -

مہودے - ابھی ہمارے ساتھی میناجی بول رہے تھے - وہ برابر بولتے رہتے ہیں اور ہم سبھی محسوس کرتے ہیں کہ آج کی راج نیتی میں کمیشن اور کمیشن خوری بڑی بات ہو گئی ہے - پہلے اس سے مکت ہونے کیلئے آپ کسی یوجنا کو صحیح ڈھنگ سے کارنیوت کر سکینگے - راجیو جی کے نام پر جو جل یوجنا چلائی جا رہی ہے - تو راجیو جی نے تو کہا تھا کہ ایک روپیہ یدی ہم گاؤں میں بھیجتے ہیں - اسکا مشکل سے ۱۵ پیسے

नेशनल कमीशन अगर आप ठीक नहीं रखेंगे। इसको लागू करने की आपकी मंशा नहीं होगी मानीटर करने का सिस्टम नहीं होगा। जो गड़बड़ी करता है उसको पकड़ने का सिस्टम नहीं होगा। तो आपकी योजनाओं का क्या मतलब। योजनाएं आपकी चलती रही हैं। उनमें जितना आप लूटने पर पैसा चाहते थे उसमें आप फेल होते रहे हैं और गलत आंकड़ों के जाल में इस देश को फंसाते रहे हैं। इससे तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला। इसी लिए हम कहेंगे। डॉक्टर साहब आप आए हैं। इस विभाग को आपने संभाला है। विभाग के साथ साथ पूरे देश की जो यह समस्या है। नेशनल समस्या है। प्रधान मंत्री भी इस समस्या के निराकरण के लिए तैयार हैं। हम लोग भी तैयार हैं। इस पर गंभीरता से विचार करके एक नेशनल पॉलिसी बना कर पूरे देश में पेय जल मुहैया कराने के लिए ठोस योजना बना कर इसको कारगर रूप देने की गारंटी के लिए और इसकी गड़बड़ी के निवारण के लिए जो भी मैकेनिज्म हो उसको तैयार कर इस दिशा में आगे बढ़िये। यह देश के हित में होगा। और सब के हित में होगा।]

"खत्म शुद"

श्री अनन्तराम जायसवाल: (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सवाल पूछने से पहले डा० मुरली मनोहर जोशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धि जैसे व्यापक जनहित के सवाल को उन्होंने यहां उठाया है और

देहातों का कहना और जानकारी अधिकांश देहातों और बड़े लोगों के यहां चला जाता है। यह होता है और बहार में तो इसकी पूरी जानकारी हम लोगों को है। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकते हैं। पेयजल जहां पानी है। तो वह लोहा मिला हुआ है। गंदा भी मिला हुआ है खारा पानी है। आप इसको शुद्ध करेंगे तभी वह पीने योग्य होगा। पेयजल है। लेकिन इसके पीने से तरह तरह की बीमारियां भी हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि एक नेशनल पॉलिसी आप दोबारा इसकी घोषित कीजिए। और जो सारे आस्पेक्ट्स हैं। पहलू हैं। उन पर गंभीरता से विचार कीजिए। और जो गड़बड़ियां हो रही हैं। उनको दूर करके सही मायने में देश की जनता के लिए शुद्ध पेयजल की योजना कार्यान्वित कराइए। एक नेशनल पॉलिसी बनाइये। योजना बनाइये एक लक्ष्य रखिये। कि इतने वर्षों के अंदर। कम से कम नहीं २० वीं सदी नहीं। इसी २० वीं सदी के अंदर ही सारा कार्यक्रम पूरा कर लीजिए। तो एक बड़ी आभारी कार्य होगा।

अभी "मंत्री जी" कह रहे थे कि सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कर देंगे "मदाखलत"।

आप सभा अधिवेशन "शून्य काल पर बोलिए" अंसारी जी आप समाप्त कीजिए।

†[श्री जलाल उद्दीन अंसारी: कितने सेक्रेटरी आए। कितने मिनिस्टर आए और चले गए। सवाल यह है कि आपकी नेशनल पॉलिसी क्या है।

जानकारी और उसकी विद्वतापूर्ण प्रस्तुति के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर दो तीन सवाल पूछूंगा। पहला सवाल यह है कि राजस्थान में जहां लोग बावली से पानी पीते हैं वहां पर नारो रोग से पीड़ित है। यह रोग आज से नहीं, बहुत दिनों से चला आ रहा है। उन लोगों की शिकायत यह है, उस इलाके के रहने वालों की, कि चुनाव के वक्त वोट मांगने नेतागण आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई दिखाई नहीं देता और वे लोग इस डर से भी दिखाई नहीं देते कि कहीं उनको यह नारो रोग न लग जाए। यह रोग ऐसा है कि इसके कीड़े पेट में जाते हैं पानी के जरिए से और फिर वह शरीर से, कहीं कान से, कहीं आंख से, कहीं नाक से, कहीं हाथ से और कहीं पैर से निकलते हैं। देखने में आता है कि माताएं छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर बैठती है और किस तरह से उन कीड़ों को निकालती रहती है, कुढ़ती है अगर जरा सी भी चूक हो जाए, वह टूट जाता है तो बेहद तकलीफ होती है। कारण यह क्या है कि, वहां पर उन लोगों को यह पता नहीं है कि गंदगी और सफाई में फर्क क्या है। जिन लोगों को बीमारी होती है वह भी पैर से उतर कर जाते हैं बावली में। वहां वह अपने हाथ पैर भी साफ करते हैं और कीड़ों को उसी पानी में पहुंचा देते हैं। यह इस तरह से बराबर सिलसिला चलता रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उस इलाके में इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए क्या कोई उन्होंने कार्य किया है? अगर किया है तो उसका विवरण क्या है?

दूसरा सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारे देश की जो नदियां हैं, उनके किनारे, हमारा ख्याल है, 3 - 4 करोड़ लोग जरूर बसे होंगे। यह बहुत गरीब लोग हैं और पानी की अपनी सारी जरूरत को यह नदी से पूरा करते हैं। उसी में कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और खाना बनाने और पीने के लिए पानी भी उसी में से लेते हैं। नदियों की हालत किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली से मिली हुई यमुना नदी बह रही है और आप जानते हैं कि यमुना का पानी इतना प्रदूषित है कि दिल्ली दूसरी जगहों से पानी मांग रहा है। इसी तरह से सब नदियों का हाल है।

तो इन गरीब लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था और पानी की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या सरकार ने, नदी के अलावा, कोई कार्रवाई की है? अगर की है तो उसको प्रकाश में लाया जाए तो अच्छा होगा।

एक तीसरा हमारा सवाल है, जैसा जोशी जी ने कहा कि पानी की कमी के कारण हम लोगों के पास जो एरिया डेवलपमेंट के नाम से पैसा जाता है तो बहुत से लोग आते हैं कि हैंड पम्प या हैंड पाइप लगवा दो। अगर आप प्राइवेट तरीके से उसको लगवाएं तो उसको लगवाने में मुश्किल से 10 या 11 हजार रुपए का खर्चा आता है, अगर उसमें नफा वैगरह भी रख लिया जाए तो 11,500 या 12,000 में तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके लिए हमारे यहां जल निगम के लोग पहले लेते थे 16,500 रुपए और अब शायद इसको बढ़ाकर 17,500 रूपए कर दिया गया है। तो यह तो एक तरफ की लूट हो गई और वह भी एक सरकारी संस्था के द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जैसे जिले में उन लोगों को जैसे 120 फुट की बोरिंग करनी है, लेकिन वे करते हैं मुश्किल से 80-85 फुट तक। इसका नतीजा यह होता है कि जो हैंड पाइप लगते भी हैं, जोशी जी ने तो उसकी लाइफ बताई 10 साल, लेकिन वे बेकार हो जाते हैं डेढ़ या दो साल में। यह उनकी मियाद है और मेंटीरियल भी जो प्राइवेट आदमी लगवाता है, उससे कहीं इंफरियर क्वालिटी का मेटीरियल इसमें इस्तेमाल होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप सारी स्टेट को लिखेंगे? आप एक चिट्ठी भी लिखें तो शायद उसका असर पड़ेगा कि मेटीरियल अच्छा लगे और जितनी बोरिंग के लिए आदेश है, वे उतनी ही बोरिंग करें, यह नहीं कि जहां पानी मिल गया, जैसे हमारे अंसारी साहब अभी बता रहे थे, वहीं पर उसको खत्म कर दें। 120 फुट तक बोरिंग करें, अच्छा मेटीरियल उसमें लगाएं और जो लूट है पांच-सात हजार की यह बंद की जाए। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, डा० मुरली मनोहर जोशी ने बहुत विद्वतापूर्वक इस सदन के सामने और इस सदन के द्वारा सरकार और देश के सामने पेयजल और शुद्ध पेयजल गंभीर संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं डा० जोशी की पार्टी की नीतियों का विरोधी हूं लेकिन जिस विदवता से और बहुत अध्ययन के बाद इन्होंने इसे सदन के सामने रखा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि यह डा० जोशी का बहुत बड़ा शोध कार्य है।

मान्यवर, मैं निर्धारित समय में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। दो साल में हम अपने देश की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाएंगे और उपलब्धियों का भी बखान

करेंगे लेकिन आज सरकार भी मानेगी और डा० जोशी के आंकड़ों से यह साबित हो गया है कि इस देश में शुद्ध पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ है और संकट ही नहीं बना हुआ है बल्कि देश के लोगों को, करोड़ों लोगों को अशुद्ध जल पीने को मिल रहा है या तो नदी का पानी पी रहे हैं, गड्ढे का पानी पी रहे हैं या गंदे कुएं का पानी पी रहे हैं जिससे आज देश के अंदर गैस्ट्रो की बीमारी फैली हुई है, कॉलरा की बीमारी फैली हुई है। सारे डाक्टरों की यह मांग है कि दवा चाहे हो या न हो लेकिन शुद्ध जल मिलना चाहिए और उबला हुआ जल मिलना चाहिए, लेकिन सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। मैं जब से देख रहा हूं हमारे ग्रामीण विकास और रोजगार मंत्री सरकार के आंकड़ों को पढ़ रहे हैं और यह उन्हीं के आंकड़ों को अपने उत्तर में कहेंगे लेकिन जो डा० मुरली मनोहर जोशी की भावना है, जो हमारे सब माननीय सदस्यों की भावना है, जिन्होंने विचार प्रकट किए, और जो मेरी भावना है, वही मैं समझता हूं कि डा० जगन्नाथ मिश्र जी की भावना होगी। यह प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। यह समझते हैं कि केन्द्र सरकार ने जितनी योजनाएं चलाईं, आंकड़ों में चाहे जितने रुपए दे दें, मेरे पास समय नहीं है जबकि आंकड़े मैं भी लेकर आया हूं। मैं आंकड़े दिखाना चाहता था लेकिन आपका संकेत मिल गया था इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। चाहे जितना रुपया केन्द्र सरकार ने व्यय किया है, यह मंत्री जी को पूरे देश के और सदन को मानना पड़ेगा कि आज भी पेयजल की समस्या हल नहीं हो सकी। मान्यवर, सरकार ने दस लाख कूप योजना चलाई। मंत्री जी और सरकार मानेगी कि दस लाख कूप योजना पूरी की पूरी निरर्थक हो गई और उससे कोई पेयजल की समस्या हल नहीं हुई। मान्यवर, 1984-85 में एक योजना चली थी। मैं अपने प्रदेश की बात बतलाता हूं। केन्द्र सरकार की ओर से संभवतः योजना चली थी कि हर एक गांव को सौ रुपया दे दिया जाए और लोग अपने गांव में पेयजल के लिए कुंआ बना दें। सौ रुपया दे दिए गए, कुंआ नहीं खोदे गए। सरकार की ओर से जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो लोगों ने गड्ढे खोदकर उसमें पानी डाल दिया और जब कलक्टर साहब और डिप्टी साहब जांच करने के लिए गए, तो मैं एक गांव को तो जानता हूं। तो उन्होंने पूछा की कुंआ कहां है? गांव के लोगों ने कहा कि सर, यह कुंआ है। उन्होंने पूछा कि पानी कहां है तथा गड्ढा इतना है? उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का कुंआ है, इसमें नीचे से पानी नहीं निकलता उसमें ऊपर से पानी आता है, क्योंकि यह सौ रुपए वाला कुंआ है। मिश्र जी, आपकी यह योजना भी फेल हो गई। इंडिया मार्क हैंड पम्प लगाने की आपने योजना चलाई। डा० जोशी इस हैंड पम्प की उम्र दस साल बतला रहे थे। मैं उसकी उम्र डेढ़ साल बतला रहा हूं, दो साल बतला रहा हूं। इस योजना में भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपने ट्यूबवैल लगाए पेयजल की समस्या हल करने के लिए। अगर किसी गांव में ट्यूबवैल लगा दिया गया तो ओवर हैड टैंक नहीं बनाया गया। वह बेकार पड़ा हुआ है। और अगर ओवर हैड टैंक बनाया गया तो सफाई नहीं की गई। उस गांव के लोगों ने तीन साल तक उसका पानी पिया, आधे से ज्यादा लोग बीमार हो गए और कुछ लोग मर गए उसका गंदा पानी पीने से। तो आप शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, गांव में जो ट्यूबवैल लगाए गए, हमारे माननीय सदस्यों ने और सब लोगों ने विचार व्यक्त किए कि सरकार की ओर से इसका रखरखाव, देखभाल और प्रोपर मेंटीनेंस नहीं होती। मान्यवर, पेयजल के लिए जो नलकूप लगाए गए उनमें 20 परसेंट में खारा पानी निकला। माननीय मिश्र जी को मानना पड़ेगा कि इस खारे पानी को अगर खेत में दे दिया जाता था तो खेत की फसल सूख जाती थी। आदमी उस पानी को पी नहीं सकता था। 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले जो नलकूप लगाए गए थे वह सब बेकार हो गए। उनका कहीं कोई पार्ट खराब है या जमीन का पानी का स्तर जो नीचे चला गया था इस कारण उसने पानी देना बंद कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि आपने जितनी योजनाएं चलाई, आपकी सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई, जितना पैसा आपने व्यय किया और जिन आंकड़ों को आपने सवेरे भी प्रस्तुत किया है और इस समय भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, इन आंकड़ों से देश की पेयजल की समस्या हल होनी वाली नहीं है। आपको इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और शुद्ध अंतकरण से विचार करना पड़ेगा तभी देश के लोगों का, गांव में रहने वालों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त ही करूंगा। मैं दो-तीन सुझाव माननीय मिश्र जी को देना चाहूंगा। आप इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। मेरे सुझाव कोई नए नहीं हैं। इन सुझावों को आप जानते हैं, लेकिन आपके अधिकारी इन सुझावों का पालन कहां तक कर सकेंगे, आपके वैज्ञानिक लोग इससे सहमत होंगे या नहीं, एयरकंडीशंड कमरों में बैठ करके जो अधिकारी आपकी योजनाएं चलाते हैं वे उसको कार्यान्वित करेंगे या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। इस देश के अंदर और किसी

भी देश के अंदर आज दो तरह का जल है। एक तो पृथ्वी के अंदर का जल है और दूसरा आसमान का जल है। आप आसमान के जल को इकट्ठा क्यों नहीं करते हैं? आप अंडमान, निकोबार की योजनाएं जानते हैं। अंडमान, निकोबार में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है तथा उसका ट्रीटमेंट करके उसे सप्लाई किया जाता है। आप पूरे देश में, गांवों में इस तरह की योजना क्यों नहीं चलाते हैं? आज जल का स्तर नीचे चला गया है। हैंड पम्प बेकार हो गए हैं। ट्यूबवैल बेकार हो गए। क्या इस पर आप विचार नहीं कर सकते हैं? अगर पानी का धरातल नीचे चला गया है तो क्या उन हैंड पम्पों को या उन ट्यूबवैल की बोरिंग को आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं? आप दस लाख की योजना बना करके सौ रुपए में कुंआ खुदवा करके और इंडिया मार्का पम्प लगा करके इस देश की गंभीर समस्या का स्थायी हल नहीं दे सकते हैं। देश के अंदर नदियां हैं, इन नदियों में जल है और जल स्थायी रूप से रहता है। यमुना नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गोदावरी नदी है, सारी नदियां हैं। आपके वैज्ञानिक क्षेत्र में आपके पास वैज्ञानिकों की टोली है जो इस जल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस जल को शुद्ध बना सकते हैं, इस जल को आदमी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बना सकते हैं। आप इन वैज्ञानिकों से सहायता क्यों नहीं लेते हैं?

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहूंगा डॉ० मिश्रा जी से जो ग्रामीण और रोजगार मंत्री हैं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। आदेश करें, इस पर गंभीरता से विचार करें। केवल आंकड़ों से जाल में न फंसे लेकिन मुझे तो संदेह है कि आप कितने दिन रहेंगे इस पद पर लेकिन जितने दिन रहें, उतने ही दिन देश की गंभीर समस्या पर आप गंभीरतापूर्वक सोचें और गांव में रहने वाला गरीब आदमी के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था अगर आप कर सकें, इसके लिए दिशा निर्देश दे सकें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरी पार्टी का तीन मिनट का समय था, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है और जहां भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है साढ़े सात लाख गांवों में से दो लाख बाईस हज़ार गांवों के लोग प्यासे रहें, यह शर्म की बात है और ऐसी शर्म की बात को उठाने का काम हमारे डा० मुरली मनोहर जोशी जी ने आंकड़ों के साथ किया है, तथापि हम लोग आंकड़ों में नहीं, काम में विश्वास करते हैं। आंकड़ों का जवाब देने के लिए तो डॉ० मिश्रा जी तैयार हैं। मैं कुछ खास बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी बिहार के लिए बताया गया कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, बिहार सम्पूर्ण है— न उत्तर है न दक्षिण है। एक गांव भी है तो वह पुवारी टोला है और पुछारी टोला है। उत्तर प्रदेश भी है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सब बंटा हुआ है। इसलिए बिहार एक है लेकिन पूर्वी बिहार की, उत्तरी बिहार की, दक्षिणी बिहार की समस्याएं अलग-अलग हैं जहां दक्षिणी बिहार में बहुत गहरे तल पर पानी मिलता है ढाई सौ, तीन सौ, चार सौ फीट तक पानी मिलता है, वहीं उत्तरी बिहार में 36 फीट, 40 फीट, 45 फीट में पानी मिलता है। तो समस्या क्या है जिस से बिहार के लोग पीड़ित है? वह समस्या है कि वहां के पानी में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है और जहां लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, पानी में आइरन ज्यादा होता है, बीमारियां वहां ज्यादा होती है। लोगों में बीमारियां फैलती हैं जिसके कारण से उत्तरी हिस्से के लोग काफी अस्वस्थ होते हैं।

साथ-साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि मैं बिहार से आता हूं। बिहार में दामोदर नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। गांव के लोग, नदी के किनारे रहने वाले नदी का पानी पीते हैं। जैसा कि हमारे विद्वान साथी ने बताया, गंगा नदी भी प्रदूषित हो चुकी है। इसलिए इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिससे गांव के लोग शुद्ध पानी पी सकें। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की जो है, वह पेय जल की है। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था मात्र नदी की रह गयी है या हैंडपाइप की रह गयी है और वहां स्थिति यह है कि जहां हैंड है, वहां उसका पाइप नहीं है। पूरा हैंडपाइप नहीं है। हैंड है तो पाइप नहीं है, अगर पाइप है तो प्लंजर नहीं है, प्लंजर भी है तो वाशर नहीं है। यह समस्या गांव की है। इसलिए कम से कम संपूर्ण हैंडपाइप की व्यवस्था कीजिए जिससे लोगों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र): महोदय, पिछले सत्र में प्रधान मंत्री ने स्वयं

सदन को आश्वस्त किया था कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से वाद-विवाद चाहते हैं, सभी दलों की राय चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी के उसी आश्वासन के क्रम में माननीय जोशी जी ने यह विषय सदन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने भाषण में अनेक आंकड़ों का जिक्र किया है, तथ्य प्रस्तुत किए हैं। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के विचार के लिए प्रस्तुत किए हैं। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे लोक महत्व के विषय पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है और सरकार उनके विचारों से लाभान्वित होगी। यह विषय राज्य सरकार का है। संविधान की कार्यसूची के मुताबिक राज्य, केन्द्र और समवर्ती सूची में से ग्रामीण और आपूर्ति राज्य का विषय है। इसलिए कार्यान्वयन पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के हाथ में है। केन्द्र सरकार दिशा निर्देशन करती है। केन्द्र सरकार व्यवस्था प्रदान करती है, केन्द्र सरकार साधन मुहैया करती है। कार्यान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में है। इसलिए केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से हटती नहीं है। समय-समय पर सभी योजनाओं का मूल्यांकन और समीक्षा केन्द्र स्तर पर होता रहा है। अगर पीछे के सालों को देखें तो यह बात सही है कि 1972 से पहले और फिर 1972 और उसके बाद 1985 इन तीन समयों से विभाजित किया जा सकता है। जो ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ है, उस पर अगर आप ध्यान करेंगे तो मैं जोशी जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 1951 से 1961 तक 11 हजार समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हुई। 1961-62 से 1968-69 तक 6000 गावों में, 1969-70, 70-71 में 2000 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हुई। इस प्रकार 1951-92 से 1970-71 तक पूरे 19000 गांवों में यह व्यवस्था की गयी। 1972-73 से लेकर 1979-80 तक 95000 में और छठी योजना 1980-81 से लेकर 1984-85 के बीच में 1 लाख 93 हजार और सातवीं योजना में 1 लाख 53 हजार गांवों में पीने के पानी का बंदोबस्त किया गया। लेकिन जो प्रश्न माननीय जोशी जी ने उठाया है, वह गांवों की बस्तियों से, टोलों से संबंधित है। यह जो आंकड़े हमने दिये हैं, वह रैवेन्यू विलेजिज़ हैं। जो राजस्व रिकार्ड में गांव हैं उनका शुमार होता है लेकिन हैबिटेट्स भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक देश में 13 लाख बस्तियां हैं, हैबिटेशन हैं और आज हम उसी को आधार मानते हैं और यही कारण भी हुआ कि नया सर्वे कराया गया। जो मद्रास विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वान सुन्दरम हैं उनकी कमेटी बनी थी 1993 में और 1991-93 के बीच सर्वेक्षण हुआ। जोशी जी ने सही कहा कि कई बार सर्वेक्षण हुआ, 72 में हुआ, 80 में हुआ, 85 में हुआ और अभी 1991-92 में सर्वेक्षण हुआ। लेकिन सर्वेक्षणों को अगर देखा जाए और उसकी समीक्षा की जाए कि अनिवार्यता क्यों हुई नये सिरे से सर्वेक्षण कराने की तो आप देखेंगे जो कार्य हुए पिछले सालों में वे गांव के हिसाब से प्रभावकारी रहे। जो आबादी हमारी आच्छादित हुई है उसके ख्याल से देखा जाए तो वह भी प्रभावकारी है। आबादी काफी अधिक आच्छादित हुई है अभी तक के कार्यक्रमों के मुताबिक। 52 करोड़ की हमारी आबादी गांव की है जिनमें से अनुसूचित जाति के 8 करोड़ 40 लाख और 5 करोड़ 70 लाख आदिवासी आच्छादित हुए हैं इस सेवा से। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो समस्याग्रस्त गांव कहे जाते हैं जहां पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर गांव में एक स्रोत है शुद्ध पानी का तो उससे लोग संतुष्ट नहीं है। आज की मानसिकता यह हो गई है। क्योंकि हम लोग सार्वजनिक कार्यकर्ता है चुनाव के मौके पर गांव में जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के समीप पानी चाहता है। उनकी यह मांग भी जायज है क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके यहां सुविधाएं बढ़ें।

श्री ईश दत्त यादव: मिर्जापुर और सोनभद्र का सर्वेक्षण कराया क्या कभी आपने कि कितने गांव में पीने के पानी की व्यवस्था है?

डा० जगन्नाथ मिश्र: सम्पर्ण में नहीं है। लेकिन साधारणतया जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है उसकी चर्चा मैंने आपके सामने की है। इस बात को मैंने स्वयं स्वीकार किया आज प्रातः अपने प्रश्न के उत्तर में कि एक लाख 40 हजार 995 ऐसी बस्तियां है जहां पीने के पानी के स्रोत नहीं है। मैंने यह भी स्वीकार किया है कि 4 लाख 30 हजार 377 बस्तियां हैं जहां आवश्यक न्यूनतम 40 लीटर पानी चाहिए प्रतिदिन प्रत्येक मानव को, वह उपलब्ध नहीं है। मैंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे यहां 27 हजार 845 गांव हैं जहां फ्लोराइड की आवश्यकता है। 427 गांव ऐसे हैं जहां अरसेनिक की समस्या है और जहां सेलाइनिटी की समस्या है वे 55,749 गांव हैं। 58,325 गांव में आइरन की समस्या है। गिवीवार्म की समस्या 363 गांव में है। जो इंतजामात किये जा रहे हैं इस समय उसके कारण पहले नाउरू से 34 हजार लोग आक्रांत होते थे अब यह घट कर 363 हो गये हैं 1.1.95 को। जो मालदा में आरसेनिक की समस्या है और 437 गांव की जो मैंने चर्चा की उसके समाधान किये जा रहे है। मतलब यह है कि सरकार पूर्ण रूप से अवगत है और सरकार ने इस समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर चेष्टा की लेकिन इस बात को

हम स्वीकार करते हैं जो हमारी सेवाएं हैं वे पर्याप्त नहीं हैं।

7.00 A.M.

उसके कारण लोगों में असंतोष है। अगर विभिन्न प्रदेशों के आंकड़ों को आप देखेंगे तो इस समय सारे राज्यों में 25 लाख पंप लगे हुए हैं। जो हमारे देश में जल आपूर्ति हो रही है, उसमें 80 प्रतिशत पानी की आपूर्ति हैंडपंप से हो रही है और 20 प्रतिशत पाइप वाटर से हो रही है। हरियाणा, पंजाब और केरल कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पाइप वाटर हैं। यह बात भी बात जानने की है कि जो पानी उपलब्ध है, उसमें केवल 15 प्रतिशत ऊपर का पानी है और 85 प्रतिशत ग्राऊंड वाटर है जो हमको लाने की व्यवस्था करनी है। इतनी बात जरूर है कि सुंदरम् कमेटी ने भी यह महसूस किया है कि रख-रखाव नहीं है और मेटेनेंस की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हम जो पंप लगा देते हैं, उनका आगे चल कर क्या होगा? अगर थोड़ी भी कठिनाई आई तो गांव के लोग कोई जिम्मेदारी ले कर उस पंप का रख-रखाव, संधारण नहीं करते हैं। यह बहुत समस्या है। इतनी बड़ी धनराशि व्यय होने के बाद भी पानी की समस्या गांव में है जिसकी चर्चा अभी माननीय जोशी जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने की है। हम तो पंप लगाए जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे काम बिगडता जा रहा है और फिर समस्या वही की वही खड़ी हो जाती है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। कमेटी ने भी ऐसा कहा है। इसलिए हमने इस काम को गम्भीरता से लिया है कि क्या बंदोबस्त किये जाएं। इसलिए हमने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में ग्रामीण जल आपूर्ति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने हमारे विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी है और इनको पूरा करना है और पूरा करने के सिलसिले में हम लोगों ने निणर्य लिया है कि एक लाख चालीस हजार जो बस्तियां हैं उन्हें हम पानी देंगे और जो हम आंशिक रूप से जल आपूर्ति कर रहे हैं 10 लीटर से कम के जो गांव हैं, उनको हम पूरा करेंगे। 61000 हजार गांवों को हम इसे तहत लेना चाहते हैं। फ्लोराइड से जो गांव प्रभावित हैं उनमें 7995 को और 42 पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में हैं उनको हम देना चाहते हैं। साथ साथ यह प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि 1997 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में एक एक शौचालय और पीने के पानी का स्रोत हम मुहैया करेंगे। यह कार्यक्रम भी हमने लिया है। साथ-साथ यह भी है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान हैं, यदि उससे अधिक आवश्यकता होगी तो उसके लिए विभाग ने मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री से 510 करोड़ रुपये की मांग की है साथ-साथ हमने विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जी को कहा है जिस तरह से गंगा के बारे में चर्चा हुई उस गंगा के पानी को शुद्ध करने के बारे में हमारा ताल्लुक तो नहीं है लेकिन जल आपूर्ति के लिए गंगा के शुद्धिकरण का प्रभाव होगा जिस तरह से गंगा कंट्रोल अथॉरिटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जो राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन है उसकी अथॉरिटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी स्वयं करेंगे। चूंकि यह राज्य का विषय है जब तक प्रधानमंत्री के स्तर पर मुख्य मंत्रियों की लगातार बैठक नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा और आज जो शिकायत है वह इसीलिए हो रही है कि राज्य सरकारें तेजी से इस कार्य को नहीं कर रही हैं। हमारे जो आधूरे काम हैं सभी गांवों, सभी बस्तियों को सभी बीमारियों से मुक्त करना है, इसके लिए नवीं पंचवर्षीय योजना में 18000 करोड़ रुपये के बंदोबस्त करने की मांग हमारी होगी, जो हम करना चाहते हैं। रख-रखाव और सधारण के काम में हम पंचायती राज संस्थाओं को इनवाल्व करना चाहते हैं। इसके लिए हम विभाग की ओर से सुझाव भी दे रहे हैं कि राज्य सरकारें 50-50 प्रतिशत पंचायतों को जिम्मा दें। और इसका एक वैज्ञानिक प्रबंध होना चाहिए। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनका पूरा करना चाहिए। चूंकि इस समय पूरी व्यवस्था पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज्ड है, केन्द्रीकृत है इसलिए इसे हम गांवों की ओर ले जाना चाहते हैं। इस समय इन कार्यक्रमों में स्वाभाविकता नहीं है, सहयोग नहीं है हम लोगों का, वह हम लेना चाहते हैं। इसलिए जहां पर हमारे हैंड पंप लगे हुए हैं वहां के माहोल, वहां के वातावरण और आम जनता में हम जन जागृति का एक आकर्षण पैदा करना चाहते हैं। पानी के स्रोतों का स्वामित्व जो है वह पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाए। साथ ही साथ वहां पर पंचायतों की कमेटियां बन जाएं जो इसकी आपूर्ति कर सकें, दे सकें। साथ ही साथ जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें रखरखाव के बारे में तकनीकी जानकारी हो। ये बातें होनी चाहिए। साथ ही साथ पंचायतों को अलग से इसके लिए धन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। राज्य सरकारें दें या पंचायतें स्वयं अपने साधनों से मुहैया कराएं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी मानीटरिंग यानी वैत्युएशन हर स्तर पर होनी चाहिए। केन्द्र सरकार

इस समय करती है और केन्द्र सरकार आगे भी राज्य स्तर पर करेगी। लेकिन राज्य सरकारों को विशेष मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर। इसकी प्रशंसा की जा सकती है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री ने सारे देश के समान जनों की पूर्ण रूप से जलापूर्ति देने का निश्चय किया है। इसीलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि आवंटित की गयी है। अगली नवीं पंचवर्षीय योजना में 18000 करोड़ रुपये की धनराशि हम आवंटित कराना चाहते हैं और नवीं योजना का अंत होते होते कोई गांव नहीं होगा जिसे आंशिक पानी या अशुद्ध पानी मिलेगा। सबको पूर्ण पानी मिलेगा। जो 40 लिटर प्रति व्यक्ति की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और जो हमारे गांव बीमारियों से प्रभावित होंगे उन गांवों को उन बीमारियों से पूर्ण रूप से हम मुक्त कराएंगे। प्रधान मंत्री ने गांवों को प्राथमिकता दी है। 7,700 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को आवंटित किया है — यह गांवों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, हरिजन आदिवासियों के लिए है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए है और उनकी मूल समस्या पानी की है इसलिए पानी की समस्या को निश्चित रूप से हम समय सीमा के भीतर पूर्ण कर देंगे। फिर जोशी साहब को और दूसरे सदस्यों को कहने का अवसर नहीं रहेगा। सरकार की तरफ से तत्परता में कोई कमी नहीं है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है जोशी जी स्वयं देखेंगे कि प्रातः हमने आंकड़े दिए थे। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात जो सब राज्य उन सबके अधीन हैं उन सब राज्यों की उपलब्धियां अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं। इसलिए केन्द्र को जिम्मेवार ठहराने के पहले अपनी जिम्मेवारी महसूस करें और उन राज्यों में जो केन्द्र सरकार की ओर से साधन जा रहे हैं पहले उनका सही उपयोग करें। यही हम सदन से निवेदन करना चाहते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow

The House then adjourned at nine minutes past seven the clock till eleven of the clock on Friday, the 4th August, 1995.